भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं.6/13/2022-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग (व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक 28 दिसंबर, 2023

<u>अधिसूचना</u>

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

<u>एडी (ओआई) मामला सं. 13/2022</u>

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेल्फ अधेसिव विनाइल (एसएवी)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

विषय सूची

क.	मामले की पृष्ठभूमि	
ख.	प्रक्रिया	
ग	विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु	
	ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	
	ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	
	ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
घ.	घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति	
	घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	
	घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	
	घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
ड.	गोपनीयता	
	ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	

	ङ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	
	ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
च.	सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन	
	च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	
	च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	
	च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
	च.3.1 चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण	
	च.3.2. निर्यात कीमत का निर्धारण	
	च.3.2.1 चीन चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण	
	च.3.2.2 असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण	
	च.4 पाटन मार्जिन का निर्धारण	
छ.	क्षति की जांच और कारणात्मक संबंध	
	छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	
	छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	
	छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
	छ.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव	
	क. मांग का आकलन / स्पष्ट खपत	
	ख. संबद्ध देश से आयात मात्रा	
	छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव	
	क. कीमत कटौती	
	ख. कीमत न्यूनीकरण और ह्रास	
	छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड	
	क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री	
	ख. बाजार हिस्सा	
	ग. मालसूची	
	घ. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ	
	ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता	
	च. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता	
ज.	गैर-आरोपण विश्लेषण	

	ज.1 तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें	
	ज.2 मांग में संकुचन	
	ज.3 खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन	
	ज.4 व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं	
	ज.5 प्रौद्योगिकी में परिवर्तन	
	ज.6 निर्यात निष्पादन	
	ज.7 अन्य उत्पादों का निष्पादन	
झ.	**भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दें**	
	झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध	
	झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	
	झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
ञ.	**प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**	
	ञ.1. **अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**	
	ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध	
	ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच	
ट.	**निष्कर्ष और सिफारिश**	
ठ.	**आगे की प्रक्रिया**	

फा. सं. 6/13/2022-डीजीटीआर: - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यत: पायनियर पॉलीलेदर्स लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक या घरेलू उद्योग कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन जन. गण.,(जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से सेल्फ अधेसिव विनाइल (एसएवी) (जिसे

आगे विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित फा. सं. 6/13/2022-डीजीटीआर दिनांक 29 दिसंबर, 2022 के माध्यम से पाटनरोधी जांच की शुरूआत की थी ताकि संबद्ध वस्तु के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरूआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 दिसंबर, 2022 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

ग. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर, 2022 की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध सूचना के अनुसार भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों से विहित समय-सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति भी उपलब्ध कराई।

ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी दूतावास को भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं थी।

i. ज़ुसेन एचसीआर डिजिटल मीडिया कंपनी लिमिटेड
ii. शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
iii. निंगबो सो-फाइन पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
iv. टांगजियांग झेंजिंग इंडस्ट्रीयल फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड
v. झेजियांग तियानक्सिंग टेक्निकल टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड
vi. शंघाई डीईआर न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
vii. शंघाई हैंकर प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
viii. जुटू टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
ix. शंघाई यूनिसाइन इंडस्ट्री कं., लिमिटेड
x. एवरी डेनिसन (चीन) प्राइवेट लिमिटेड
xi. डाओमिंग ऑप्टिक्स एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
xii. फ़ोशान केएल डेकोरेटिव मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
xiii. गुआंगझोऊ केवाई एडवरटाइजमेंट इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
xiv. गुआंगझोऊ टोम एडवरटाइजमेंट मैटेरियल लिमिटेड
xv. गुआंगझोऊ युक्वान कम्पोजिट मटेरियल कंपनी लिमिटेड
xvi. जियांग्सू एओली एडी मटेरियल कंपनी लिमिटेड
xvii. नान्चॉन्ग बैना डिजिटल न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
xviii. सनग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स कंपनी लिमिटेड
xix. टोंगज़ियांग झान्यी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
xx. झाओकिंग साउदर्न न्यू मटेरियल लिमिटेड
xxi. झेजियान यिया न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
xxii. झेजियांग गैंगलोंग न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
xxiii. झेजियांग सो-फाइन सेल्फ-एडहेसिव प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया या निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।

i. फ़ोशान केएल डेकोरेटिव मटेरियल्स कं., लिमिटेड
ii. झेजियांग सो-फाइन सेल्फ-अधेसिव प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (सो-फाइन)
iii. गुआंगझोऊ युक्वान कंपोजिट मटेरियल कं., लिमिटेड
iv. जियांग्सू एओली न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
v. ज़ुसेन एचसीआर डिजिटल मीडिया कंपनी लिमिटेड
vi. गुआंग्डोंग टोम एडी मीडिया लिमिटेड
vii. गुआंगझोऊ केवाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड
viii. झाओकिंग साउदर्न न्यू मटेरियल लिमिटेड
ix. झेजियांग फुलाई न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
x शंघाई एफएलवाई इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
xi. शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
xii. एवरी डेनिसन (चीन) कंपनी लिमिटेड
xiii. झेजियांग यिया न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
xiv. नान्चॉन्ग बैना डिजिटल न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
xv. 3एम इनोवेशन सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड
xvi. टोंगज़ियांग सिटी यिज़हान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
xvii. गुआंगझोऊ के.के. एडवरटाइजमेंट इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं:

i. 3एम इंडिया लिमिटेड
ii. आदित्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
iii. एएसएम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
iv. गीता एंड कंपनी
v. कॉन्सेप्ट पॉलीप्रो प्राइवेट लिमिटेड
vi. मार्स पॉलीकोटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
vii. मारुति फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड

viii. मोहित इम्पेक्स
ix. ऑरिस ओवरसीज
x. पीवी मीडिया विजन प्राइवेट लिमिटेड
xi. रेक्सटोन डिजिटल लिमिटेड
xii. सिब्को ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
xiii. साउदर्न एजेंसीज
xiv. सन साइन और टेक्नोलॉजीज
xv. टेक नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लिमिटेड
xvi. एवरी डेनिसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
xvii. फ्लेक्स साइन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xviii. रुद्रम सन वर्ल्ड एलएलपी
xix. साइनमैक्स एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड
xx. विज़न ट्रेड लिंक्स
xxi. वंडर साइन्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
xxii. आईटीएमएस इंडिया प्रा. लिमिटेड
xxiii. सिल्वर साइन प्रा. लिमिटेड
xxiv. श्रीजी पॉली प्लास्ट

झ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने उत्तर दिया है या आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

i. आदित्य डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
ii. एवरी डेनिसन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
iii. फ्लेक्स साइन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iv. गीता एंड कंपनी
v. सिब्को ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
vi. साइनमैक्स एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड
vii. सन साइन और टेक्नोलॉजीज
viii. टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लिमिटेड
ix. सिल्वर साइन प्रा. लिमिटेड
x. विज़न ट्रेड लिंक
xi. मारुति फ्लेक्स ट्रेडर्स एलएलपी

xii. साउदर्ज एजेंसीज
xiii. 3एम इंडिया लिमिटेड
xiv. प्लास्टो इंडिया प्रा. लिमिटेड,
xv. मारुति एसोसिएट्स.
xvi. सिरोहिया कारपोरेशन
xvii. श्री बालाजी पॉलिमर
xviii. अजीत इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
xix. टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड

ञ. प्राधिकारी ने नियमावली के 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात प्रयोक्ताओं/एसोसिएशन को प्रश्नावलियां भेजी थी।

i. ऐडास
ii. ऐमास डिजिटल प्रिंटिंग
iii. आकृति प्रिंट वर्ल्ड
iv. अंबिका ट्रेडर्स
v. अनुपम ग्राफिक्स
vi. एओन ग्राफिक्स
vii. चोपड़ा साइनेज
viii. कोडेक्स मीडिया
ix. क्रिएटर्स
x. दीपा एडवरटाइजिंग
xi. दीपा पब्लिक सिटी
xii. देव पेंटर
xiii. फोर्स एडवरटाइजिंग
xiv. गणेश इंटरप्राइजेज
xv. ग्लोबल फ्लेक्स मीडिया
xvi. गोपी राजू आर्ट्स
xvii. ग्रेविटी
xviii. आइडिया ज़ेरॉक्स
xix. जेसीडब्ल्यू फ्लेक्स

xx. जे जे प्लास्टिक
xxi. कलर कैटेलिस्ट
xxii. कृष्णा साइनेज प्राइवेट लिमिटेड
xxiii. कुशल ऊर्जा संस्थान
xxiv. एम एंड के क्रिएटिव्स
xxv. मेट्रो प्रिंटिंग
xxvi. माइक्रो ग्राफ़िक्स
xxvii. मुक्ता एंटरप्राइज
xxviii. पीकॉक आर्ट
xxix. पूजा एडवरटाइजिंग एजेंसी
xxx. रामेश्वरम गिरिधर प्लाजा
xxxi. रैम्पियन एडवरटाइजिंग
xxxii. रेड एरोज़
xxxiii. रिटेल इंपैक्ट
xxxiv. रिटेल जंक्शन
xxxv. एस के यूनिप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड
xxxvi. साई ऐड एजेंसी
xxxvii. सैपहायर मीडिया सर्विस
xxxviii. सेतिया आर्ट्स
xxxix. शिव इंटरप्राइजेज
xl. श्री इंटरप्राइजेज
xli. श्रीधर आर्ट्स
xlii. साइन सल्यूशन
xliii. एसएस डिजिटल पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड
xliv. स्टेटस ग्राफ़िक्स
xlv. यूनिक एडवरटाइजिंग एवं मार्केटिंग
xlvi. विमल आर्ट
xlvii. विशाल आर्ट्स
xlviii. यागी साइन
xlix. एवरी डेनिसन (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
l. तमिलनाडु प्रिंटर्स एसोसिएशन
li. तमिलनाडु साइनेज मटेरियल एंड मशीनरी ट्रेडर्स एसोसिएशन

(टीएनएसएमएमटीए)

lii. कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ साइनेज इंडस्ट्रीज

liii. फ्लेक्स बैनर मर्चेंट एसोसिएशन

ट. फ्लेक्स बैनर मर्चेंट एसोसिएशन, तमिलनाडु साइनेज मटेरियल एंड मशीनरी ट्रेडर्स एसोसिएशन (टीएनएसएमएमटीए) ने उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

ठ. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विशेष रूप से आयातकों द्वारा अधिकांशत: समान विचार व्यक्त किए गए हैं। इस अंतिम जांच परिणाम को जारी करते समय सभी संगत अनुरोधों को शामिल किया और उन पर विचार किया गया है।

ड. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

ढ. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए हैं। प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद के आयात की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ण. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 14 अगस्त, 2023 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया था। मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

त. सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) निर्धारित की गई है ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

थ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था। आवश्यक सुधार जहां लागू हों, करने के बाद केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।

द. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 जुलाई, 2021 से 30 जून 2022 (12 महीने) की है। क्षति अवधि में 2018-19, 2019-20, 2020-21, अप्रैल, 2021 से जून, 2022 और पीओआई शामिल है।

ध. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां अवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से गोपनीय आधार प्रस्तुत सूचना के पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

न. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

प. इस जांच में आवश्यक तथ्यों को शामिल करते हुए एक प्रकटीकरण वक्तव्य जो वर्तमान अंतिम निष्कर्ष का आधार बनता है, 20 दिसंबर 2023 को इच्छुक पक्षों को जारी किया गया था। घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रकटीकरणोत्तर विवरण प्रस्तुतियों पर इस अंतिम खोज अधिसूचना में प्रासंगिक पाए गए सीमा तक विचार किया गया है।

फ. इस अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाता है।

ब. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 76.63 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

4. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. यह भी एसएवी व्यापक किस्मों और ग्रेडों में आता है और उसकी अलग-अलग उत्पादन पद्धति, अलग-अलग संयोजन और मूल घटकों के ग्रेड (विनाइल फिल्म, अधेसिव और लाइनर) होते हैं; उसके विनिर्माण के लिए अलग-अलग मशीनरी और पद्धतियां होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण भिन्नता अंतिम अनुप्रयोग हैं जो इन्हें वाणिज्यिक रूप से अपरिवर्तनीय बनाता है।

ख. यह कि आवेदक एसएवी का विनिर्माण विभिन्न खरीदे गए घटकों की केवल लैमिनेटिंग द्वारा करता है और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित एसएवी की थोड़ी मात्रा में अधिकांशत: क्लीयर परमानेंट अधेसिव वाला मोनोमेरिक कैलेंडर्ड विनाइल और अल्पावधिक इंडोर डिजिटल प्रिंटिंग अनुप्रयोगों और सीमित प्रयोग के लिए एकल पीई कोटेड पेपर लाइनर शामिल हैं। याचिकाकर्ता एसएवी फिल्मों के ऐसे विभिन्न अन्य प्रकारों का उत्पादन नहीं करता है जो विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा हैं।

ग. यह कि एक प्रमुख कारक जो आवेदक द्वारा आयातित टेपों को आवेदक द्वारा उत्पादित एसएवी से अलग करता है। यह है कि इन टेपों में कोई लाइनर/रिलीज पेपर उनके साथ नहीं लगा होता है।

घ. यह कि किसी उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल करने का आधार नहीं हो सकती है और इसलिए प्राधिकारी को केवल उन प्रकारों को शामिल करके विचाराधीन उत्पाद के दायरे को पुन: परिभाषित करना चाहिए जिनका वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन किया जा रहा है और उन प्रकारों को बाहर रखना चाहिए जिनका उत्पादन याचिकाकर्ता नहीं कर रहा है।

ङ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बताया है कि उत्पाद शुल्क अधिनियम में प्रदत्त ''विनिर्माण'' की परिभाषा और पाटनरोधी नियमावली में प्रदत्त घरेलू उद्योग की परिभाषा के अनुसार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विनिर्माण में ऐसी प्रक्रिया शामिल है जो विनिर्मित उत्पाद को पूरा करने में सहायक या संबंधित हो। अत: लेमिनेशन को ''विनिर्माण'' माना जा सकता है। तथापि, वर्तमान मामले में आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु के केवल खरीदे गए विभिन्न घटकों की लेमिनेटिंग द्वारा उत्पाद विनिर्मित हुआ है अर्थात उसमें पीवीसी फिल्म, लाइनर आदि जैसे प्रमुख घटकों का विनिर्माण शामिल नहीं है। इसलिए इसे पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा और बाहर रखना चाहिए।

च. यह कि आवेदक ने स्वयं माना है कि वह रिफलेक्टिव एसएवी का उत्पादन या बिक्री नहीं करता है जो वाहन की लाइटों को दर्शाता है और यातायात की आवाजाही में मदद करता है। वे डार्क एसएवी में ग्लो या फोटो लुमिनीसेंट एसएवी का उत्पादन भी नहीं करते हैं जो दिन में प्रकाश अवशोषित करता है और रात या अंधेरे में उसे दर्शाता है।

छ. यह कि आवेदक ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रयुक्त एसएवी का विनिर्माण और आपूर्ति भी नहीं करता है, उदाहरण के लिए गैसो लाइन टैंक के आसपास प्रयुक्त ऑटोमोटिव एसएवी जो अग्निरोधी होती है और यात्री वाहनों के बी एंड सी पिलर हेतु निर्माण नहीं करता है। ये विशिष्ट एसएवी हैं जो मंहगे होते हैं और उनमें एंटी स्क्रैच, एंटी डस्ट और वाटर प्रूफ जैसी विशेषताएं होती हैं। इन्हें ओईएम द्वारा वाहनों में प्रयोग किया जाता है और वाहन के जीवनकाल तक यह लगे रहते हैं। अत: ऑटोमोटिव एसएवी को उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं सभी ऑटोमोटिव आधारित एसएवी को आयातों से बाहर रखा है और वह वाणिज्यिक

बाजार में उनका उत्पादन और आपूर्ति नहीं करता है। इन्हें पेंट प्रोटेक्शन एसएवी भी कहा जाता है।

ज. आवेदक ने स्वयं बार-बार यह माना है कि सब्सक्रेट फिल्म का उत्पादन किए बिना संबद्ध वस्तु का उत्पादन (और केवल लेमिनेटिव प्रक्रिया करना) एक वित्तीय रूप से व्यवहार्य व्यवसाय नहीं है। हम समझते हैं कि यही कारण है कि क्यों प्राधिकारी ने 30 जून, 2023 को जारी पीसीएन नोटिस में ''लेमिनेशन'' को एक विनिर्माण प्रक्रिया नहीं माना है।

झ. आवेदक ने स्वयं पीयूसी को बताते समय निम्नलिखित मुख्य शब्दों को भी बाहर रखा है।

i. स्टिकर
ii. टेप
iii. लेबल
iv. पाउच
v. पीपी
vi. टीपीयू
vii. इंकजेट मीडिया (50 माइक्रोन से कम)
viii. प्रोफ़ाइल
ix. क्लॉथ
x. रिफलेक्टिव
xi. मेटालाइज्ड
xii. ग्लो विनाइल
xiii. एचडीपीई
xiv. फ्लोर मार्किंग टेप
xv. एक्रिलिक
xvi. बीओपीपी
xvii. ऑटोमोटिव

ञ. यह अनुरोध किया गया है कि सभी उक्त उत्पाद पीवीसी से अलग सामग्री से निर्मित हैं। इन सभी उत्पादों का अलग-अलग रसायनिक तत्व, सीवीसी से निर्मित

सेल्फ अधेसिव फिल्म की तुलना में अलग भौतिक और रसायनिक विशेषताएं, प्रयोग, लागत और कीमतें हैं। यह बात जांच शुरूआत अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि पीयूसी का नाम सेल्फ अधेसिव विनाइल, सेल्फ अधेसिव पोलीविनाइल क्लोराइड फिल्म सेल्फ अधेसिव पीवीसी फिल्म है। अत: पीईटी, पीपी, टीपीयू, पीई आदि फिल्में स्पष्ट रूप से पीयूसी के वर्णन से मिलती-जुलती नहीं हैं।

ट. यह अनुरोध किया गया है कि कोल्ड लेमिनेशन फिल्म और पीयूसी (एसएवी) दो अलग-अलग उत्पाद है क्योंकि उनकी भौतिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया, लागत, कीमत निर्धारण आदि अलग-अलग हैं। आवेदक ने 60 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सेल्फ अधेसिव कोल्ड लेमिनेशन फिल्म का उत्पादन या बिक्री नहीं की है और न उनके पास उसके उत्पादन की तकनीकी क्षमता है। अत: 60 माइक्रोन से कम मोटाई के फिल्म वाले एसएवी के प्रकार को पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए। 60 माइक्रोन मोटाई के कम के उत्पाद प्रकार आवेदक द्वारा प्रदत्त माइक्रोन के लिए वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

ठ. यह कि टेप और लेबल, स्टीकर, पाउच, रिफलेक्टिव एसएवी आदि जैसे वर्णन वाली मदों के आंकड़ों को आयात से बाहर रखकर याचिकाकर्ता ने मौन रूप में मान लिया है कि ये उत्पाद पीयूसी के दायरे में नहीं आते हैं। यदि याचिकाकर्ता ने आयातों की मात्रा और कीमत विश्लेषण के लिए इन उत्पादों को बाहर रखा है तो स्वत: निष्कर्ष यह है कि उन्हें संबद्ध जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी को पीयूसी के दायरे से निम्नलिखित उत्पादों को विशेष रूप से बाहर रखना चाहिए: (i) टेप लेबल्स और फ्लोर मार्किंग टेप (ii) रिफलेक्टिव एसएवी (iii) अंधेरे में चमकने वाले एसएवी (iv) ऑटोमोटिव एसएवी/पेंट प्रोटेक्शन एसएवी (v) क्विक इरेज/व्हाइट बोर्ड फिल्म्स/ ड्राई इरेज एसएवी।

ड. यह कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्णित उत्पादन प्रक्रिया कुछ सरल है और उसमें सभी विभिन्न प्रकार के एसएवी के उत्पादन के लिए अपेक्षित तकनीकी क्षमता नहीं दर्शायी गई है। याचिकाकर्ता के पास एसएवी के भिन्न-भिन्न प्रकारों के उत्पादन के लिए निम्नलिखित विशेष तकनीक / मशीनरी नहीं है:

i. स्पेशल कोटिंग प्रौद्योगिकी

ii. विनाइल / फिल्म की टॉप कोटिंग के लिए प्रौद्योगिकी

iii. दोनों ओर अधेसिव कोटिंग के लिए अलग मशीनें

iv. माउंटिंग विनाइल

v. पीईटी लाइनर की अधेसिव कोटिंग के लिए अलग मशीनें

vi बबल - प्री एसएवी के विनिर्माण के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के अधेसिव टेक्सचर्ड रोलर के साथ कोटिंग रिलीज लाइनर के लिए अलग मशीन

ढ. यह कि क्विक इरेज / व्हाइट बोर्ड फिल्म / ड्राई इरेज फिल्म्स, जो राइट टेबल फिल्म होती है जिस पर अधिकांश व्हाइट बोर्ड मार्कर के साथ फिल्म पर कोई लिख सकता है और बार-बार प्रयोग के लिए मिटा सकता है जैसे विभिन्न विशिष्ट एसएवी का उत्पादन के लिए एसएवी उत्पादक को कतिपय रसायनों के साथ विनाइल / फिल्म के टॉप कोट के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, ऐसी टॉप कोटिंग के लिए प्रयुक्त रसायन प्रत्येक एसएवी उत्पादक के लिए विशिष्ट प्रकार के होते हैं। आवेदक के पास टॉप कोटिंग के लिए आवश्यक और क्विक इरेज / व्हाइट बोर्ड फिल्म / ड्राई इरेज एसएवी के विनिर्माण के लिए आवश्यक टॉप कोटिंग प्रौद्योगिकी या इस प्रकार का रसायन का विशिष्ट ज्ञान नहीं है।

ण. यह कि आवेदक के पास माउंटिंग विनाइल के लिए दोनों तरफ अधेसिव कोटिंग हेतु अलग मशीन नहीं है। माउंटिंग एसएवी के लिए एक दोनों तरफ कोटिंग लाइनर आवश्यक होता है। माउंटिंग फिल्म में अधेसिव के साथ पीवीसी फिल्म होती है और दोनों ओर (एक ओर पेपर लाइनर और दूसरी ओर पीईटी लाइनर) लाइनर होता है। इस उत्पाद के लिए अलग-अलग और विशेष कोटिंग लाइन जरूरी होती है जिसमें पीवीसी फिल्म के दोनों ओर अधेसिव कोटिंग की जा सके। याचिकाकर्ता के पास यह प्रौद्योगिकी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि माउंटिंग एसएवी की विशेषता यह है कि उसमें दोनों ओर अधेसिव होता है। इसके लिए विनाइल / फिल्म के ऊपर और नीचे दोनों ओर एक साथ अधेसिव की कोटिंग के लिए एक डबल हेडेड कोटिंग मशीन की आवश्यकता होती है।

त. यह कि आवेदक के पास पीईटी लाइनर की अधेसिव कोटिंग के लिए अलग मशीन नहीं है। याचिकाकर्ता के पास रिलीज पेपर लाइनर पर अधेसिव कोटिंग के लिए

केवल एक लाइन है। तथापि, इस लाइन को पीईटी लाइनर पर अधेसिव कोटिंग के लिए प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है जिसके लिए अलग कोटिंग लाइन / प्रौद्योगिकी आवश्यक है। इसे स्टोरिंग और पेस्टिंग के बाद पेंट को किनारों पर अधिक स्थिरता के लिए प्रयोग किया जाता है। पेपर लाइनर को प्लास्टिक लाइनर से बदला जाता है। अधेसिव की क्लेरिटी इमेज को दिखाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे तैयार करने की प्रौद्योगिकी पेपर लाइनर से बिल्कुल अलग है जो घरेलू उद्योग के पास नहीं है। अत: पीईटी आधारित लाइनर वाले एसएवी को बाहर रखना चाहिए।

थ. यह कि आवेदक के पास बबल - फ्री एसएवी के उत्पादन के लिए अपेक्षित टेक्चर्ड रोलर नहीं है। बबल - फ्री एसएवी विशेष एसएवी हैं जिन्हें ऐसे अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया जाता है, जहां फ्लीट ग्राफिक्स जैसी विभिन्न सतहों पर एसएवी की सीधे मैनुअल पेस्टिंग अपेक्षित होती है। बबल - फ्री एसएवी के मामले में लाइनर सुनिश्चित करते हैं कि एयर गैप उसे सतह पर लगाते समय ट्रैप न हो जाएं। इससे सुनिश्चित होता है कि इससे सतह के पेंट को तब कोई नुकसान न हो जब एसएवी को हटाया जाए। इस विशेष लाइनर के विनिर्माण में एयर एग्रेस प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है जो याचिकाकर्ता के पास नहीं है। ये लाइनर की अपने उत्पादन प्रक्रिया, प्रयोग और रूप में नियमित एसएवी से अलग-अलग होती है और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है।

द. वन - वे विजन वाले एसएवी के मामले में एसएवी पर लेमिनेटिंग प्रेस से उसके आउटपुट के बाद क्षिद्र पंच करने के लिए पंचिंग मशीन / प्रेस की जरूरत होती है। याचिकाकर्ता के पास ऐसा कोई पंचिंग प्रेस नहीं है। आवेदक ने 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले वन-वे विजन फिल्म का उत्पादन और बिक्री नहीं की है और उनके पास इसके उत्पादन की तकनीकी क्षमता नहीं है। इसलिए 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली इस प्रकार की एसएवी फिल्म को पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए। 120 माइक्रोन मोटाई से कम के उत्पाद प्रकार आवेदक द्वारा प्रदत्त माइक्रोन से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और इसलिए आवेदक ने भारत में आयातित एसएवी के लिए किसी समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की है।

ध. यह कि पहाड़गंज, नई दिल्ली में ''चूना मंडी'' में स्थानीय बाजार में पूछताछ करने पर पता चला कि इस इलाके में सभी एसएवी डीलरों ने बताया था कि याचिकाकर्ता के उत्पाद बाजार में उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें काफी लंबे समय से याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित एसएवी के लिए कोई पूछताछ उपलब्ध नहीं हुई थी। इस बाजार में कुछ डीलरों ने यह भी बताया था कि पूर्व में याचिकाकर्ता के एसएवी उत्पादों के प्रयोक्ताओं से प्राप्त फीडबैक यह था कि याचिकाकर्ता के एसएवी उत्पादों में काफी गंभीर गुणवत्ता संबंधी समस्याएं थी जिनकी वजह से याचिकाकर्ता के एसएवी उत्पादों की मांग में गिरावट आई थी। इस कारण से प्रतिवादी को काफी संदेह है कि क्या उक्त दावा किए गए उत्पाद भारत में घरेलू बाजार में बेचे गए हैं।

न. माननीय सेस्टेट के कतिपय निर्णयों *[**टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम बनाम भारत संघ और अन्य - पाटनरोधी अपील सं. 2022 की 51425**]* का उद्धरण देते हुए यह तर्क दिया गया कि चूंकि पैरा 3.10 में प्राधिकारी की मानक प्रचालन प्रक्रिया पुस्तिका में यह प्रावधान है कि विचाराधीन उत्पाद में अधिमानतः ऐसी मदें शामिल होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और घरेलू बाजार में वाणिज्यिक रूप से बेची जाती हों, उन उत्पादों तक पीयूसी के दायरे को सीमित करना न्यायसंगत और उचित होगा जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचा जाता है और ऐसे आयातित उत्पादों को पीयूसी के दायरे में शामिल करना जो घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों से सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करते हों, न्यायोचित नहीं है।

प. यह कि यदि आवेदक विभिन्न प्रकार के एसएवी के उत्पादन का दावा करता है, तो भी यह सिद्ध करना चाहिए कि आवेदक ने वाणिज्यिक मात्राओं में पीयूसी के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन और बिक्री की है। कानून में यह स्थापित स्थिति है कि किसी उत्पाद को पीयूसी के दायरे में शामिल करने के लिए पीओआई में उसका वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन और बिक्री होनी चाहिए।

फ. यह कि पूर्ववर्ती जांच में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे को *"व्हाइट / कलर्ड / क्लीयर या पारदर्शी रूप में 120 माइक्रोन तक की ग्लास / मैट फेस की मोटाई में कैलेंडरी प्रक्रिया के जरिए विनिर्मित मोनोमैरिक एसएवी इसमें स्थायी ग्लो के साथ 140 से कम जीएसएम का क्राफ्ट पेपर लाइनर हो और जो प्रयोग के लिए*

तैयार तथा जंबो रोल रूप दोनों में हो'' तक सीमित किया गया था और इसलिए प्राधिकारी को केवल ऐसे प्रकारों को शामिल करके विचाराधीन उत्पाद के दायरे को पुन: परिभाषित करना चाहिए जिनका वर्तमान में याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्माण किया जा रहा है और ऐसे प्रकारों को बाहर रखना चाहिए जिनका उत्पादन याचिकाकर्ता नहीं कर रहा है।

ब. यह कि प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति बिल्कुल अपर्याप्त है और उसमें उन संगत मापदंडों को पूर्ण रूप से नहीं दर्शाया गया है जिनके आधार पर पीयूसी के विभिन्न प्रकारों की लागत में अंतर होगा। कानून और प्रक्रिया में यह एक सुस्थापित स्थिति है कि जहां पीयूसी एक समान न हो और यह कि विभिन्न भौतिक विशेषताओं और कीमत में अंतर के साथ पीयूसी के विभिन्न ग्रेड और प्रकार हैं वहां प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान और संबद्ध देश से आयातित पीयूसी की कीमत के बीच एक ''उचित तुलना'' की जाए।

भ. कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी बताया है कि कम मोटाई वाले उत्पाद अधिक मोटाई वाले उत्पादों के लिए वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और घरेलू उद्योग ने 80 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सेल्फ अधेसिव विनाइल का उत्पादन और बिक्री नहीं की है और न ही उनके पास उसका उत्पादन करने की तकनीकी क्षमता है। इसलिए 80 माइक्रोन से कम मोटाई की फिल्म वाले एसएवी को पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

म. यह तर्क दिया गया है कि क्षिद्रित पीवीसी फिल्म जो वनवे फिल्म विजन के लिए होती हो, को पीसीएन मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

य. यह कि फिल्म के प्रकार अर्थात वह सीमा जहां तक फिल्म से प्रकाश प्रवाहित होता है - सफेद, पारदर्शी, स्पष्ट, अल्ट्रा क्लीयर, स्वच्छ, अपारदर्शी, रंगीन, मुद्रित को एक अलग पीसीएन मानदंड / मूल्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

कक. यह कि पीसीएन मानदंड के रूप में ''रंगों'' को काला और स्लेटी, सफेद - नीला, सफेद - मिल्की और सुपर वाइड आदि जैसे अन्य शेडों को शामिल करने के लिए विस्तार करना चाहिए ताकि इस मानदंड में अन्य मूल्य भी शामिल हो सकें।

खख. यह कि प्राधिकारी को ''रिनोवेबल ग्लू'' के रूप में एक अन्य पीसीएन मानदंड पर भी विचार करना चाहिए।

गग. यह कि फिल्म और रिलीज लाइनर की मोटाई को पीसीएन के एक मानदंड के रूप में शामिल करना चाहिए।

घघ. यह कि रिलीज लाइनर की कोटिंग के प्रकार को एक अलग पीसीएन मानदंड के रूप में भी जोड़ा जाना चाहिए जैसे - एक तरफ कोटिंग वाला पेपर, दोनों तरफ कोटिंग वाला पेपर, बबल - फ्री कोटिंग वाला पेपर, पीईटी फिल्म अन्य।

डड. यह कि एसएवी फिल्म की सतर से संबंधित - स्मूथ या क्षिद्रित, टेक्सचर्ड सतह, ग्रेन्स ओरिएंटेड सतह, एम्बॉस आदि जैसी फिल्म सतह विशेषताओं को एक पीसीएन मापदंड के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

ग.3. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. यह कि यद्यपि सही है कि एसएवी व्यापक किस्मों और प्रकारों में आता है, परंतु ऐसा अंतर मूल घटकों (विनाइल फिल्म, अधेसिव और प्रयुक्त लाइनर) के विभिन्न संयोजन और प्रकारों पर निर्भर करता है। एसएवी के सभी प्रकारों के उत्पादन प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समान है जिसमें लेमिनेशन पूर्व तैयारी, लेमिनेशन और क्योरिंग शामिल होती है। फिनाइल शीट की सतह की फिनिश और अन्य विशेषताएं प्रयुक्त फिल्मों और लाइनरों के प्रकार पर निर्भर करती है और फिल्म के रोलिंग के समय प्रयुक्त रोलर के प्रकार पर निर्भर करती है। इसमें न तो कोई गहन विज्ञान है और न ही कोई उन्नत प्रौद्योगिकी या उन्नत मशीनरी होती है। जैसा कि कतिपय

हितबद्ध पक्षकरों ने तर्क दिया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यथा आरोपित एसएवी के ऐसे विभिन्न प्रकारों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित विशेष प्रौद्योगिकी या मशीनरी का कोई ब्यौरा नहीं दिया है।

ख. यही लेमिनेशन और क्योरिंग और फिनिशिंग लाइनें किसी भी प्रकार की पीवीसी फिल्म और रिलीज लाइनर तथा अधेसिव के प्रयोग में सक्षम है। आवेदक के पास सभी प्रकार के एसएवी (रेफलेक्टिव एसएवी को छोड़कर) के उत्पादन की क्षमता है।

ग. यह कि यद्यपि घरेलू उद्योग एसएवी के लिए मोनोमेरिक पीवीसी फिल्म के उत्पादन के लिए पश्चवर्ती रूप से समेकित है, परंतु अन्य प्रकार की पीवीसी फिल्म, रिलीन लाइनर और अधेसिव सामग्री सहित अन्य सभी सामग्रियों को विभिन्न प्रकार के एसएवी के उत्पादन के लिए प्रस्तावित मांग और कीमत के आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा मांग किए जाने पर बाजार से खरीद जा रहा है या खरीदा जा सकता है।

घ. यह कि एसएवी का उत्पादन जटिल प्रौद्योगिकी नहीं है और इसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्पादन प्रक्रिया चार्ट में यथा उल्लिखित कुछ बिल्कुल सरल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस मूल उत्पादन प्रक्रिया पर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विवाद नहीं किया है। वास्तव में संबद्ध देश से अधिकांश निर्यातक खरीदे गए घटकों से एसएवी के विभिन्न प्रकार के उत्पादन के लिए समान मूल पद्धतियों को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए मेसर्स झेजियांग यिया न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया की घोषणा निम्नानुसार की है।

"एसएवी को वांछित पीवीसी फिल्म, इन दोनों के बीच एक उपयुक्त अधेसिव सहित रिलीज लाइनर को साथ लाकर उत्पादित, रोल्ड और उचित ताप उपचार लाइन में उपचारित किया जाता है । एसएवी को विशाल रोल में उत्पादित किया जाता है और बाद में वांछित लंबाई या चौड़ाई में काटा जाता है । सतह फिनिश और विनायल शीटों की अन्य विशेषताएं प्रयुक्त फिल्मों और लाइनरों के प्रकारों तथा फिल्मों को रोल करते समय प्रयुक्त रोलरों के प्रकारों पर निर्भर करती है ।"

ड. यह कि उक्त उत्पादक ने यह भी घोषित किया है कि विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री में ग्लू, रिलीज पेपर, पीवीसी फिल्म और पैकिंग सामग्री शामिल है। इसमें यह भी बताया गया है कि सामग्री और सुविधाओं को घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा जाता है। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आवेदक घरेलू उद्योग और चीन के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया एक समान है।

च. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एसएवी के विभिन्न प्रकार प्रयुक्त फिल्म और / या प्रयुक्त रिलीज लाइनर और / या प्रयुक्त अधेसिव के प्रकार पर निर्भर करते हैं और इन तीन मूल घटकों के विभिन्न परिवर्तन और संयोजन के साथ सभी प्रकार के एसएवी को समान लेमिनेशन लाइन में लेमिनेट और किसी अतिरिक्त प्रौद्योगिकी या उपकरण का प्रयोग किए बिना समान फिनिशिंग लाइन में क्योर और तैयार किया जा सकता है। अत: हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि एसएवी के कुछ प्रकारों के उत्पादन में अतिरिक्त प्रौद्योगिकी या उपकरण अपेक्षित हैं, निराधार है। यद्यपि इसमें कतिपय उत्पाद प्रकार जैसे वन-वे विजन एसएवी शामिल नहीं हैं जिसमें परफारेशन लाइन की जरूरत होती है जो घरेलू उद्योग के पास पहले से है।

छ. प्राधिकारी से उक्त हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई के दौरान यथा प्रस्तुत ऐसे विशिष्ट उत्पाद प्रकार के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा प्रौद्योगिकी और उसमें शामिल उत्पादन प्रक्रिया के ब्यौरे प्रस्तुत करने के स्पष्ट अनुदेश के बावजूद हितबद्ध पक्षकार कुछ बिल्कुल सामान्य टिप्पणियां छोड़कर इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं दे पाए हैं कि कतिपय उत्पाद प्रकारों में विशिष्ट प्रौद्योगिकी या मशीनरी की जरूरत होती है। जबकि उन्हीं हितबद्ध पक्षकारों में से कुछ द्वारा प्रदत्त उत्पादन प्रक्रिया उनके द्वारा अपनाई गई घरेलू उद्योग के बिल्कुल समान उत्पादन प्रक्रिया को दर्शाती है। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने पहले ही दर्शाया है और प्राधिकारी को पुन: दर्शाने के लिए तैयार हैं कि एसएवी के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन समान तरीके से होता है जिससे हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का खंडन होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा समान प्रकार के एसएवी की विभिन्न किस्मों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है।

ज. प्राधिकारी की मानक प्रचालन प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 3.10 के लिए हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए उल्लेख के संबंध में प्राधिकारी का ध्यान उसी पुस्तिका के पैरा 3.15 की ओर दिलाया जाता है जिसका पाठ निम्नानुसार उद्धरित है:

''3.15 उत्पाद के विभिन्न ग्रेड / रूप / किस्म / मजबूती / आकार का अर्थ अलग-अलग उत्पाद नहीं है। वे एक ही उत्पाद के उप समूह हैं जिसकी जांच की जानी प्रस्तावित है और इसलिए जहां तक अनिवार्य भौतिक और तकनीकी विशेषताओं का संबंध है अधिक से अधिक वे पीसीएन बना सकती हैं।''

झ. इस प्रकार पैरा 3.10 में निर्धारित प्रचालन प्रक्रिया को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता या पढ़ा जाना चाहिए और उसे उक्त पुस्तिका के पैरा 3.15 में निर्धारित प्रावधानों से जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी का ध्यान ***ईसी - फास्टनर्स (चीन) मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय*** की ओर भी दिलाया जाता है जिसमें पैनल का निष्कर्ष था कि अनुच्छेद 2.1 और 2.6 में जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए केवल उन उत्पादों को शामिल करने हेतु विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करना अपेक्षित नहीं है जो ''समान'' हैं। पैनल ने यह टिप्पणी की कि ''केवल यह तथ्य कि पाटन का निर्धारण एक उत्पाद के संबंध में अंतिम रूप से किया गया है। उस उत्पाद के दायरे के बारे में कुछ नहीं बताता है। निश्चित रूप से अनुच्छेद 2.1 के पाठ में ऐसा कुछ नहीं है जिसे जांच के अधीन निर्यातित उत्पाद के दायरे में ''समानता'' के किसी विचार के लिए अपेक्षित समझा जा सकता हो।'' पैनल का यह निष्कर्ष था कि ''यद्यपि अनुच्छेद 2.1 सिद्ध करता है कि पाटन का निर्धारण केवल एक विचाराधीन उत्पाद के लिए किया जाना है। तथापि, उस उत्पाद के मानक के निर्धारण के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है और उस अनुच्छेद में उस उत्पाद की आंतरिक समानता की निश्चित रूप से कोई आवश्यकता नहीं है।''

ञ. इसके अलावा, ***ईसी - साल्मन (नार्वे) में पैनल*** ने नार्वे के इस दावे पर विचार किया था कि ''विचाराधीन उत्पाद'' में कोई एकल, आंतरिक रूप से समान उत्पाद या वैकल्पिक रूप से ऐसी श्रेणियां शामिल होनी चाहिए जो एक दूसरे से प्रत्येक अलग-अलग समान हों। ताकि वे मिलकर एकल समान उत्पाद बनाती हों। पैनल ने यह पाया कि ''अनुच्छेद 2.1 के पाठ में ऐसी कोई बात नहीं है जो उस उत्पाद के मानक

के लिए कोई मार्गदर्शन प्रदान करती हो"। केवल यह तथ्य कि पाटन का निर्धारण किसी उत्पाद के संबंध में अंततः किया जाता है, संगत उत्पाद के दायरे के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। अनुच्छेद 2.1 के पाठ में निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है जिसे नार्वे द्वारा बताई गई आंतरिक संगतता के प्रकार के लिए जरूरी समझा जा सकता हो।

ट. ऊपर यथा उद्धरित पैनल के निर्णयों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विभिन्न उत्पाद प्रकारों की आंतरिक एकरूपता या "परस्पर समानता" की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है जिससे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में उन्हें शामिल किया जाए। जैसे कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है।

ठ. यह कि यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों जिनके पास *** प्रतिशत बाजार हिस्सा है, के कारण *** प्रतिशत के बहुत कम क्षमता उपयोग पर कार्य करना पड़ा है। इतने कम क्षमता उपयोग पर प्रचालन के समय घरेलू उद्योग को केवल सरल किस्मों पर ही ध्यान केंद्रित करना पड़ा है और केवल उनका ही उत्पादन किया है जिन्हें वह बाजार में तर्कसंगत ढंग से बेच सके और सभी उत्पाद किस्मों के उत्पादन और बिक्री के बजाय घाटों को कम कर सके, इनमें से अधिकांश ऐसे उत्पाद हैं जिनकी बहुत कम मात्राएं हैं। अतः यह पुरान चूरे और अंडे वाला विरोधाभास है, जहां पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षमता और सामर्थ्य होने के बावजूद विभिन्न उत्पाद प्रकारों की अपनी उत्पादन क्षमता को वाणिज्यिक रूप से स्थापित नहीं करने दे रहे हैं।

ड. यह कि पीयूसी में पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फिल्म से निर्मित एसएवी के सभी प्रकार शामिल हैं और घरेलू उद्योग के पास समान विनिर्माण प्रक्रिया के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की फिल्मों, लाइनर और अधेसिव का इस्तेमाल करके सभी प्रकार / किस्म के एसएवी का उत्पादन करने की क्षमता और सामर्थ्य है और उसने मांग और कीमत की उपयुक्तता के अनुसार एसएवी के विभिन्न प्रकारों की आपूर्ति की है। अतः उद्धरित सेस्टेट के निर्णय की वर्तमान मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है।

ढ. यह कि विभिन्न प्रकार के एसएवी को तब तक देख कर एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता जब तक उत्पाद को नष्ट करने की परीक्षण पद्धति में नहीं डाला जाए। अत: किसी उत्पाद प्रकार को बाहर रखने से केवल शुल्क की प्रवंचना होगी क्योंकि शुल्क के बिना वस्तु की स्वीकृति देने के लिए 100 प्रतिशत परीक्षण दशाओं को लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा।

ण. संपूर्ण क्षति अवधि के लिए आवेदक के पास उपलब्ध आयात आंकड़ों की जांच से काफी रोचक बात का पता चलता है। जांच से बाहर रखने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांग किए गए कुछ 31 उत्पाद किस्मों की लंबी सूची में से आयात आंकड़ों के आवेदक द्वारा किए विश्लेषण के अनुसार पीओआई सहित पूरी क्षति लगभग 12 उत्पाद प्रकारों के संबंध में आयात "शून्य" हैं या उन्हें सजातीय रूप से बताया गया है और इस प्रकार पहचान योग्य नहीं हैं। पूरी क्षति अवधि में 9 उत्पाद प्रकारों के संबंध में 10 से कम सौदें हैं या उन्हें सजातीय से बताया गया है और इस प्रकार पहचान योग्य नहीं हैं। केवल शेष 10 उत्पाद प्रकारों के संबंध में क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त आयात हुए हैं जिसमें पीओआई भी शामिल हैं और वे सभी या तो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं या घरेलू उद्योग उनका उत्पादन करने में सक्षम है। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि आयात कीमतें बहुत कम हैं जो हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे को झूठा ठहराता है कि ये मूल्यवर्धित उत्पाद हैं या ऐसे विशेष उत्पाद हैं जिनमें उच्चतर प्रौद्योगिकी आदि की आवश्यकता है।

त. इस आधार पर कतिपय मोटाई से कम की फिल्म वाले एसएवी को बाहर रखने की मांग के संबंध में कि ये एसएवी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एसएवी से वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और वेबसाइट की सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए जा रहे हैं, यह नोट किया जाए कि घरेलू उद्योग काफी समय पहले वेबसाइट पर डाली गई किसी बात पर विचार किए बिना 100 माइक्रोन से कम की पीवीसी फिल्म सहित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर स्थानीय विनियामक प्रतिबंधों के अधीन, जिन पर 31 दिसंबर, 2021 से आयात प्रतिबंधित भी हैं, घरेलू उद्योग सभी फिल्म मोटाई वाली एसएवी का उत्पादन कर सकता है और कर रहा है।

थ. इस तथ्य के होते हुए भी कि घरेलू उद्योग विनियामक कार्यढांचे के भीतर सभी मोटाई की पीवीसी फिल्म वाले एसएवी का विनिर्माण और आपूर्ति करता है, यह नोट किया जाए कि विभिन्न फिल्म मोटाई वाले एसएवी का समान रसायनिक घटक और भौतिक विशेषताएं होती हैं तथा उसे समान उत्पादन प्रक्रिया से उत्पादित किया जाता है और वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय होती हैं। यद्यपि कतिपय मोटाइयां कुछ प्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। अत: संबंधित हितबद्ध पक्षकार द्वारा इंगित मोटाई की एसएवी उक्त नियमावली के अनुसार उसके अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही एसएवी की ''समान वस्तु'' है। इस प्रकार संबंधित हितबद्ध पक्षकार की तर्क व्यवहार्य नहीं है।

द. जांच के दायरे से विभिन्न उत्पाद प्रकारों को बाहर रखने के हितबद्ध पक्षकारों के सभी दावे अस्वीकृति किए जाने चाहिए और एक सीमित उत्पाद के बजाय ''समग्र उत्पाद'' के लिए पाटन और क्षति के निर्धारण की पुष्टि की जानी चाहिए।

ध. यह कि कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए और न कि पीयूसी को परिभाषित करते हुए पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ समान से समान की तुलना के लिए पीसीएन पद्धति बनी है। अत: पीसीएन को केवल इस पहलू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाना चाहिए और अनावश्यक रूप से जटिल और कठिन नहीं बनाया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों की यह दलील की पीसीएन को पीयूसी की परिभाषा की तरह डिजाइन किया जाना चाहिए और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए पीसीएन को बाहर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल निराधार है और पीसीएन पद्धति के दायरे और प्रयोजन से अलग है और इसलिए इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

न. जहां तक संबंधित पीसीएन के लिए फिल्म और रिलीज लाइनर की मोटाई को शामिल करने की अन्य हितबद्ध पक्षकारों की मांग का संबंध है, यह नोट किया जाए कि मोटाई तब संगत होती है जब तुलना के प्रयोजन के लिए माप की इकाई क्षेत्रफल के अनुसर (वर्ग मीटर) में हो। वर्तमान जांच में माप की इकाई भार के अनुसार है और सामग्री की मोटाई उसमें शामिल हो जाती है और लागत तथा कीमत के अंतर या तो पूर्णत: समाप्त हो जाते हैं या नगण्य हो जाते हैं। अत:

पीसीएन में एक अलग मापदंड के रूप में सामग्री की मोटाई को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है।

प. प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित पीसीएन पद्धति न्यायपूर्ण और उचित है और पर्याप्त है तथा ऐसे सभी व्यापक मापदंडों को कवर करती है जो विभिन्न निर्धारणों के लिए कीमत तुलनीयता को शामिल करते हैं और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मांग के अनुसार कुछ मापदंडों में आगे उप श्रेणीकृत करने की जरूरत नहीं है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

6. जांच शुरूआत अधिसूचना में पीयूसी को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

3. ''*विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेल्फ-अधेसिव विनायल (एसएवी)" है । "सेल्फ-अधेसिव विनायल को व्यापक रूप से बाजार में सेल्फ-"अधेसिव विनायल पॉली विनायल क्लोराइड फिल्म", अधेसिव विनायल, विनायल, विनायल फिल्म', सेल्फ-अधेसिव पीवीसी फिल्म, वन वे विजन विनायल या कोल्ड लेमिनेशन फिल्म के नाम से भी जाना जाता है । यह उत्पाद एक अधेसिव- बैग्ड विनायल है जो विभिनन सतहों पर इसके प्रयोग को संभव बनाता है । विचाराधीन उत्पाद में सभी प्रकार के एसएवी शामिल हैं ।*

4. सेल्फ-अधेसिव विनायल एक लोचशील और बहु-प्रयोगी सामग्री है, जो दीवारों या कठोर सतहों पर लगाने के लिए आदर्श है । इसकी तीन अलग-अलग पर्तें या सामग्री होती है अर्थात (i) पॉलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) फिल्म, (ii)एकअधेसिव परत, और (iii) रेलीज लायनर । पॉलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी) मोनोमेरिक, पॉलीमेरिक या काष्ठ हो सकता है और इसकी मोटाई प्रयोग के आधार पर अलग-अलग हो सकती है । यह परत अंतत: लक्षित सतह पर लेमिनेशन या किसी विज्ञापन सामग्री आदि के रूप में लगा दी जाती है। अधेसिव परत को फिल्म और रिलीज लाइनर के बीच लगाया जाता है और अंतत: यह सेल्फ अधेसिव विशेषता के साथ फिल्म में अंतरित हो जाती है । रिलीज लाइनर कोई कागज या कोई पैट फिल्म या कोई अन्य सामग्री हो सकता है जो निकल जाए और हटा दिया जाए ।

5. एसएवी को वांछित पीवीसी फिल्म, इन दोनों के बीच एक उपयुक्त अधेसिव सहित रिलीज लाइनर को साथ लाकर उत्पादित, रोल्ड और उचित ताप उपचार लाइन में उपचारित किया जाता है । एसएवी को विशाल रोल में उत्पादित किया जाता है और बाद में वांछित लंबाई या चौड़ाई में काटा जाता है । सतह फिनिश और विनायल शीटों की अन्य विशेषताएं प्रयुक्त फिल्मों और लाइनरों के प्रकारों तथा फिल्मों को रोल करते समय प्रयुक्त रोलरों के प्रकारों पर निर्भर करती है ।

6. कथित पाटित वस्तुएं सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1075 की अनुसूची 1 के शीर्ष 3919 के अंतर्गत वर्गीकृत है । याचिकाकर्ता ने बताया है कि इसका कोई समर्थित टैरिफ कोड नहीं है और यह सामान्यत: 3919 90 90 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है । याचिकाकर्ता दावा करता है कि विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है : 3919 90 90, 3919 10 00, 3919 90 10, 3919 90 20, 3920 99 19, 3920 99 59, 3920 99 99, 3920 69 29, 3921 90 99, 3926 90 99 । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है'' ।

7. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे, पीसीएन और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और आवेदक घरेलू उद्योग की टिप्पणियों और विचारों की सावधानीपूर्वक जांच की है।

8. प्राधिकारी ने पीयूसी के दायरे और पीसीएन के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद की कुछ विशेषताओं के आधार पर अनेक पीसीएन का प्रस्ताव किया है जिन्हें केवल प्रयोग के समय नोट किया जा सकता है। ऐसी विशेषताएं विषयनिष्ठ और आमूर्त होती हैं और उन्हें अलग पहचान नहीं माना जा सकता है। कतिपय उत्पाद केवल अपने प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं, परंतु उनमें ऐसी कोई तकनीकी विशेषता नहीं होती जो उन्हें पीयूसी की तकनीकी विशेषताओं से अलग करती हो। इसके अलावा, पक्षकारों द्वारा यह सिद्ध करने के लिए भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया गया है कि वे पीयूसी के समान उत्पाद नहीं हैं।

9 इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तावित पीसीएन पद्धति में उनके द्वारा सुझाए गए विभिन्न मापदंडों और मूल्यों में लागत और कीमत अंतरों के ब्यौरे देने के लिए भी कहा गया था। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकार अपेक्षित ब्यौरे देने और साक्ष्य के साथ अपने दावे को सिद्ध करने में विफल रहे थे।

10. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर उनके परामर्श से निम्नलिखित पीसीएन मैट्रिक तैयार की है ताकि बिल्कुल सटीक तुलना के आधार पर पीसीएन वार पाटन और क्षति का आकलन किया जा सके।

क्र.सं.	मापदंड	मूल्य	कोड
1.	विनिर्माण प्रक्रिया	कैलेंडर्ड पीवीसी फिल्म क. मोनोमेरिक ख. पोलीमेरिक कास्ट पीवीसी फिल्म	एम = मोनोमेरिक पी = पोलीमेरिक सी = कास्ट
2.	एसएवी फिल्म का प्रकार	क्षिद्रित (वन वे विजन फिल्म)	ओ
		गैर-क्षिद्रित	एन

11. प्राधिकारी ने उत्पाद और उसके विभिन्न प्रकारों तथा उनकी उत्पादन पद्धति को समझने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया का मौके पर सत्यापन भी किया था। प्राधिकारी ने चीन में निर्यातकों द्वारा प्रदत्त प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार उनकी उत्पादन पद्धति की भी जांच की है । उत्पादन प्रक्रिया की जांच से पता चलता है कि एसएवी की उत्पादन प्रक्रिया अनिवार्य रूप से निम्न को जोड़कर एक लेमिनेशन प्रक्रिया है: (i) वांछित मोटाई और रंग आदि की पीवीसी फिल्म का वांछित प्रकार, (ii) वांछित रिलीज लाइनर, (iii) इन दोनों के बीच एक उपयुक्त अधेसिव, एक उचित टॉप उपचार लाइन में रोल्ड और क्योर्ड ।

12. उत्पादन प्रक्रिया और एसएवी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त विभिन्न घटकों की जांच से पता चलता है कि पीयूसी के विनिर्माण में प्रयुक्त पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी फिल्म) जो अंतत: लक्षित सतह पर एक लेमिनेशन के रूप में या एक विज्ञापन सामग्री आदि के रूप में लगा दी जाती है, वह एक कैलेंडर्ड फिल्म (मोनोमेरिक या पोलीमेरिक) या कॉस्ट फिल्म हो सकती है और एसएवी के वांछित प्रयोग के आधार पर उसकी मोटाई, रंग और अन्य तकनीकी विशेषताएं अलग-अलग हो सकती है। अधेसिव की परत को फिल्म और रिलीज

लाइनर के बीच लगाया जाता है और वह सेल्फ अधेसिव विशेषता देने के लिए अंतत: फिल्म पर अंतरित हो जाती है। प्रयुक्त होने वाले अधेसिव के प्रकार भी लक्षित प्रयोग के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। रिलीज लाइनर कागज या पीईटी फिल्म या कोई अन्य सामग्री हो सकता है जो लक्षित सतह पर अधेसिव लगी पीवीसी फिल्म के अंतरित होते समय अलग हो जाता और डिस्कार्ड हो जाता है। रिलीज लाइनर की किस्म भी तैयार एसएवी के लक्षित प्रयोग पर निर्भर करती है।

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस उत्पादन प्रक्रिया पर विवाद नहीं किया है। इसके अलावा, किसी भी भागीदार उत्पादक / निर्यातक ने एसएवी के उत्पादन के लिए पूर्णत: पश्चवर्ती समेकन का दावा नहीं किया है। वास्तव में कुछ प्रतिवादी निर्यातकों ने खरीदी गई पीवीसी फिल्म, लाइनर और अधेसिव से शुरू होकर बिल्कुल समान उत्पादन प्रक्रिया की पुष्टि की है। इस प्रकार चाहें आवेदक किसी विशेष प्रकार की पीवीसी फिल्म का उत्पादन करता है या नहीं करता है या एसएवी के सभी प्रकारों के उत्पादन के लिए पीवीसी फिल्म के सभी प्रकारों का उत्पादन करता है अथवा नहीं यह बात अनावश्यक हो जाती है। यदि मध्यवर्ती वस्तु का कोई विशेष घटक कोई खरीदी गई मद है या अंतिम उत्पाद के उत्पादन के लिए खरीदी जा सकती है तो यह गैर जरूरी है कि क्या किसी उत्पादक ने उसके लिए पश्चवर्ती एकीकरण किया है अथवा नहीं। आवेदक की उत्पादन लाइन के सत्यापन से पता चलता है कि उसके पास फिल्म और लाइनर, लेमिनेशन प्रक्रिया और क्योरिंग प्रक्रिया की तैयारी के लिए पूरी श्रृंखला है जो किसी भी प्रकार के तीन मूल घटकों अर्थात फिल्म, अधेसिव और लाइनर के प्रयोग के लिए पर्याप्त लोचशील है।

14. जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के पास विभिन्न प्रकार की फिल्मों, विभिन्न मोटाइयों, विभिन्न प्रकार के रिलीज लाइनर और अधेसिव को संभालने की क्षमता नहीं है, क्योंकि ऐसे एसएवी के उत्पादन की प्रौद्योगिकी अलग है जो घरेलू उद्योग के पास नहीं है, उन हितबद्ध पक्षकारों से जहां तक एसएवी के उत्पादन के लिए यथा अपेक्षित उपकरण के ब्यौरे प्रदान करने के संबंध में विशिष्ट अनुरोध के बावजूद उक्त पक्षकार उन्हें उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। दूसरी ओर आवेदक घरेलू उद्योग ने सत्यापन के दौरान यह दर्शाया है कि उसकी उत्पादन सुविधा में स्थापित समान संयंत्र और उपकरण विभिन्न मोटाइयों के कैलेंडर्ड और कास्ट दोनों फिल्मों के विभिन्न प्रकारों को संभालने और फिल्म की मोटाई पर विनियामक प्रतिबंधों आदि के अधीन विभिन्न एसएवी का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

15. पूर्ववर्ती जांच में पीयूसी के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विशेष उल्लेख के बारे में प्राधिकारी आवेदक घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया सत्यापित की है और उसी लाइन का प्रयोग करके विभिन्न उत्पाद किस्मों के उत्पादन की लोचशीलता आवेदक द्वारा दर्शायी गई है। अत: पीयूसी के दायरे को पश्चवर्ती समेकन के जरिए उनके द्वारा उत्पादित फिल्मों के लिए सीमित करने का कोई कारण नहीं है।

16. कतिपय विशिष्ट एसएवी जिनके लिए इस आधार पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विशिष्ट अपवर्जन की मांग की गई है, की घरेलू उद्योग ने वाणज्यिक रूप से उनका उत्पादन और बिक्री नहीं की है, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यद्यपि पाटित आयातों के कारण आदेशों की कमी की वजह से कम मात्रा में उनके द्वारा उत्पादित और बेचे गए उत्पाद प्रकारों की विस्तृत सूची और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और यह भी दावा किया है कि उसी संयंत्र और उपकरण से मांग किए जाने पर अन्य उत्पादों का भी उत्पादन किया जा सकता है क्योंकि इन उत्पाद प्रकारों का उत्पादन करने की उत्पादन प्रक्रिया में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। कुछ प्रतिवादी निर्यातकों की उत्पादन प्रक्रिया की जांच की। यह दर्शाती है कि प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समान है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ***टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम बनाम भारत संघ और अन्य*** में माननीय सेस्टेट द्वारा निर्णित मामले का अनुपात इस मामले पर लागू होता है क्योंकि यह दर्शाया गया है कि आवेदक के पास उपलब्ध संयंत्र और उपकरण में आवेदक द्वारा विशेष रूप से बाहर रखे गए उत्पादों को छोड़कर सभी प्रकार के एसएवी के उत्पादन और आपूर्ति का सामर्थ्य और क्षमता है।

17. यह भी नोट किया जाए कि एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित ''*घरेलू उद्योग*'' शब्द का अर्थ ऐसे घरेलू उत्पादक हैं जो समान वस्तु के विनिर्माण और उसके संबंधित किसी कार्यकलाप में शामिल हैं या ऐसे उत्पादक जिनका उक्ता वस्तु का समग्र उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, एडी नियमावली के नियम 2(घ) में यथा परिभाषित ''*समान वस्तु*'' शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु से सभी तरह से समरूप या समान हो या ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य वस्तु जो यद्यपि सभी तरह से समान न हो फिर भी उसमें जांच के अधीन वस्तु से बिल्कुल मिलती-जुलती विशेषताएं हों।

18. यह अनुरोध किया गया है कि अधिनियम में यह एडी नियमावली के नियम 2(ख) या 2(घ) के अंतर्गत कहीं भी यह उल्लेख नहीं कि घरेलू उद्योग को वाणिज्यिक मात्रा में समान वस्तु

के उत्पादन या बिक्री के मापदंडों को पूरा करना होगा। यहां तक गेट की अनुच्छेद vi की कार्यान्वयन संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2 और 4 में भी घरेलू उद्योग या समान वस्तु के दायरे को परिभाषित करते समय ''*वाणिज्यिक मात्राओं*'' की अपेक्षा विहित नहीं है।

19. यदि ''*वाणिज्यिक मात्राओं*'' के मापदंड को स्वीकार किया जाता है तो वह ऐसे सभी घरेलू उद्योग पर पाटनरोधी जांच की शुरूआत के बारे में एक मान्यता संबंधी प्रतिबंध लगा देगा जो वाणिज्यिक मात्रा में समान वस्तु का उत्पादन या बिक्री करने में समर्थ नहीं है। जैसा कि पाटनरोधी जांच के सांविधिक कार्यढांचे में कभी भी परिकल्पित नहीं था।

20. पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सस्ते आयातों के हमले से घरेलू उद्योग को बचाना है जो उसे बिक्री में कमी, कीमत कटौती आदि की दृष्टि से क्षति पहुंचा सकता है। यदि इस दलील को स्वीकार कर लिया जाए तो इससे एक मुश्किल स्थिति बनेगी, जहां घरेलू उद्योग जो वाणिज्यिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन और बिक्री करने में असमर्थ है, वह ''वाणिज्यिक मात्राओं'' में वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री करने में अक्षम होने के कारण ऐसे पाटन के विरुद्ध उपचार की मांग करने से निषिद्ध हो जाएगा।

21. जहां तक मानक प्रचालन प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 3.10 के उल्लेख का संबंध है प्राधिकारी का ध्यान उसी पुस्तिका के पैरा 3.15 और डब्ल्यूटीओ के विभिन्न निर्णयों की ओर दिलाया गया है, जो अनिवार्यत: यह बताते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल होने के लिए विभिन्न उत्पाद प्रकारों की आंतरिक एकरूपता या परस्पर समानता की कोई आवश्यकता नहीं है। विभिन्न प्रकार की फिल्मों, अधेसिव और रिलीज लाइनर के प्रयोग से उत्पादित एसएवी की विभिन्न किस्मों के विशिष्ट प्रयोग हो सकते हैं परंतु वे अनिवार्य रूप से समान उत्पादन प्रक्रिया से उत्पादित विभिन्न उप किस्में हैं और अलग उत्पाद नहीं हैं। अत: कतिपय उत्पाद प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करने का अन्य हितबद्ध पक्षकारों का तर्क स्वीकार्य नहीं है।

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन और अनुरोधों में स्पष्ट किया है कि इसका आवेदन केवल पीवीसी से निर्मित सेल्फ अधेसिव से संबंधित है और पीवीसी से इतर किसी अन्य फिल्म के प्रयोग से उत्पादित सभी अन्य सेल्फ अधेसिव पीवीसी के दायरे से बाहर हैं। आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि एसएवी के संबंध में उनका आवेदन केवल आयातित रोल रूप के लिए है और एसएवी के कम चौड़ाई और

कतिपय प्रकार में आयातित कुछ मार्किंग टेप आदि जो रोल रूप में आयात नहीं हो रहे हैं, पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

23. प्राधिकारी ने कुछ उत्पादों को भी बाहर किया है जिन्हें घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से या तो साफ तौर पर या अपने अनुरोध में अपनी याचिका में पीयूसी से आयात आंकड़े अलग करते समय हटा दिया है। घरेलू उद्योग ने माना है कि निम्नलिखित प्रकार की फिल्म एसएवी फिल्म नहीं है और इसलिए पीयूसी के दायरे से बाहर है।

क. रिफलेक्टिव फिल्म
ख. सन कंट्रोल फिल्म या
ग. ग्लास सेफ्टी फिल्म

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में निम्नलिखित उत्पादों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखता है। अत: प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि स्टीकर, टेप, लेबल, पाउच, पीपी, पीईटी, टीपीयू, इंकजेट मीडिया (50 माइक्रोन से कम), प्रोफाइल, क्लोथ, रिफलेक्टिव, मेटेलाइज्ड, ग्लो विनाइल, एचडीपीई, फ्लोर मार्किंग टेप, एक्रिलिक, बीओपीपी, ऑटोमोटिव जैसी सेल्फ अधेसिव फिल्में पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं हैं। पीवीसी फिल्म से इतर सामग्री के प्रयोग से निर्मित अन्य सभी सेल्फ अधेसिव फिल्में पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

25. तद्नुसार, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि निम्नानुसार करने का प्रस्ताव करते हैं:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "सेल्फ-अधेसिव विनाइल" (एसएवी) है , जिसे व्यापक तरीके से "सेल्फ- अधेसिव पोलीविनाइल क्लोराइड फिल्म" , "अधेसिव विनाइल", "विनाइल" "विनाइल फिल्म", "सेल्फ- अधेसिव पीवीसी फिल्म", "वन वे विजन विनाइल" अथवा "कोल्ड लेमिनेशन फिल्म" के रूप में बाजार में जाना जाता है। यह उत्पाद रिलीज पेपर/लाइनर के साथ एक अधेसिव -बैक्ड विनाइल है जो विभिन्न सतहों पर इसके प्रयोग की अनुमति देता है। विचाराधीन उत्पाद में पोलीविनाइल क्लोराइड फिल्म का उपयोग करते हुए बनाए गए और केवल रोल फोर्म

में आयात किए गए 100 माइक्रोन से ऊपर के पीवीसी फिल्म मोटाई वाले सभी प्रकार के एसएवी शामिल हैं।

सेल्फ- अधेसिव विनाइल एक लचीला और विविध गुणों वाली सामग्री है जो दीवारों अथवा कठोर सतहों पर माउंटिंग के लिए उपयुक्त है। इसमें तीन अलग अलग लेयर अथवा सामग्री है अर्थात् (i) पोलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फिल्म; (ii) एक अधेसिव लेयर; और (iii) रिलीज लाइनर। पोलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी् मोनोमेरिक; पोलिमेरिक और कास्ट हो सकते हैं और इसकी मोटाई इसके प्रयोग के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। यह लेयर अन्ततः एक लेमिनेशन अथवा एक विज्ञापन सामग्री आदि के रूप में निर्धारित सतह पर स्थानांतरित हो जाता है। अधेसिव लेयर को फिल्म और रिलीज लाइनर के बीच रखा जाता है और अन्ततः इसे सेल्फ अधेसिव गुण देने के लिए फिल्म में स्थानांतरित किया जाता है। रिलीज लाइनर एक पेपर अथवा एक पीईटी फिल्म अथवा कोई अन्य सामग्री हो सकती है जो जारी हो जाता है अथवा जिसका त्याग कर दिया जाता है।

स्टिकर, टेप, लेबल, पाउच, पीपी, पीईटी, टीपीयू, इंकजेट मीडिया (50 माइक्रोन से कम), प्रोफाइल, क्लॉथ रिफलेक्टिव, मेटलाइज्ड, ग्लो विनाइल, एचडीपीई, फ्लोर मार्किंग टेप, एक्रिलिक, बीओपीपी, ऑटोमेटिव जैसे सेल्फ-एडहेसिव फिल्मों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, रिफलेक्टिव फिल्म, सन-कंट्रोल फिल्म्स और ग्लास सेफ्टी फिल्म्स और सेल्फ अधेसिव उत्पाद जिनका निर्माण पीईटी, पीयू, बीओपीपी, आदि जैसे पीवीसी फिल्मों को छोड़कर बनाया जाता है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं ।

26. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के शीर्ष 3919 के अंतर्गत वर्गीकृत है । विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित सीमा शुल्कों के वर्गीकरणों के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है : 3919 90 90, 3919 10 00, 3919 90 10, 3919 90 20, 3920 99 19, 3920 99 59, 3920 99 99, 3920 69 29, 3921 90 99, 3926 90 99 । सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

27. स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक अर्थात पायनियर पॉलीलेदर्स लिमिटेड संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है जिसका भारत में घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
ख. याचिकाकर्ता ने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
ग. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु के निर्यातक या आयात से संबंधित नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

30. यह आवेदन घरेलू उद्योग के रूप में पायनियर पॉलीलेदर्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है।

31. एक मात्र उत्पादक के रूप में आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत है। इस प्रकार आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और घरेलू उद्योग द्वारा किया गया आवेदन नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

32. आवेदक ने व्यापार सूचना स. 10/2018 दिनांक 07 सितंबर, 2018 (जिसे आगे व्यापार सूचना कहा गया है) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 का घोर उल्लंघन करते हुए गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उन्होंने वास्तविक आंकड़ा रेंज - ±10% आदि में क्षतिरहित कीमत जैसी मूल सूचना प्रदान नहीं की है।

33. गोपनीय आधार पर किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक सूचना को तब तक गोपनीय नहीं माना जा सकता जब तक वह कारणों द्वारा समर्थित और प्राधिकारी द्वारा उसी प्रकार स्वीकृति न की जाए। दूसरे शब्दों नियम 7 का किसी भी तरह से यह अर्थ नहीं है कि आवेदक न्यूनतम सूचना देकर बच सकता है; बल्कि यह आवेदक पर पर्याप्त ब्यौरे में सारांश प्रस्तुत करने का दायित्व डालता है ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। इस खंड का प्रयोजन सभी हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्राधिकारी को प्रस्तुत सूचना का सार्थक अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने में सुविधा देना है ताकि वे अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सके और सही निर्धारण में प्राधिकारी की मदद कर सकें।

34. ***स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2003 (158) ईएल.टी 673 (एससी)*** मामले में पाटनरोधी शुल्क में गोपनीयता के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले में प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है। उक्त मामले में गोपनीय सूचना के व्यवहार संबंधी मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना था कि गोपनीयता स्वत: नहीं प्रदान की जाए और वह विस्तृत जांच पर आधारित होनी चाहिए।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

35. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. हितबद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ख. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि पूरी मूल्य श्रृंखला का उत्तर नहीं प्रस्तुत किया गया है।

ग. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर अस्वीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि इसने अगोपनीय प्रकटन की अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है और अधूरा उत्तर और मूल्य श्रृंखला प्रस्तुत की है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. सूचना की गोपनीयता के बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

37. प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो गोपनीय स्वरूप की हो (उदाहरण के लिए जिसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को भारी प्रतिस्पर्धी लाभ मिल जाएगा या जिसके प्रकटन से ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति जिससे सूचना प्राप्त की गई है, पर काफी

प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), या जिसे किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान किया गया है, को उचित कारण बताए जाने पर प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाएगा। ऐसी सूचना को उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमाति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता है।

38. प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश सभी हितबद्ध पक्षकारों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराए हैं।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

39. जब निर्यात कीमत निर्यातक और इसके संबद्ध आयातक के बीच हो, तब पाटनरोधी शुल्क के उद्देश्य से निवल निर्यात कीमत उस कीमत पर तय किया जाना होता है जिस पर विचाराधीन उत्पाद को पहले किसी स्वतंत्र क्रेता को फिर से बेचा गया हो। डीजीटीआर के मैनुअल में अध्याय "निवल निर्यात कीमत का निर्धारण" के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि "निर्यात कीमत" सामान्य तौर पर भारत में प्रथम असंबद्ध क्रेता को कीमत के आधार पर होती है। वर्तमान मामले में, चूंकि 3एम सिंगापुर और 3एम इंडिया 3एम समूह की कंपनियों का हिस्सा हैं जो एक दूसरे से संबद्ध हैं, निवल निर्यात कीमत कुल मिलाकर 3एम समूह द्वारा अर्जित लाभों पर विचार करते हुए तय किया जाना चाहिए।

40. 3एम सिंगापुर और 3एम इंडिया के बीच कीमत निर्धारण [***] हैं जिस पर कीमत निर्धारण और पाटन/क्षति के विश्लेषण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी की यह भी कार्य-पद्धति रही है कि वह उत्पादक/निर्यातक और आयातक जब वे संबद्ध कंपनियां हों यदि उन्हें अन्य प्रकार से विदेशी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया हो, के बीच कीमतों पर विश्वास नहीं करे। इस दृष्टिकोण को प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण., ताइवान और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "रॉल में अथवा शीट फार्म को छोड़कर विनाइल टाइल्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच (वास्तविक धीमापन) में अंतिम जांच परिणामों में अपनाया गया है [मामला सं.-एडी (ओआई)-16/2021]।

41. वर्तमान मामले में 3एम सिंगापुर [***] पर 3एम इंडिया को विचाराधीन उत्पाद अंतरित करता है। इस कारण से, 3एम समूह द्वारा खरीदे और बेचे गए विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता की गणना करने के लिए, 3एम सिंगापुर ओर 3एम इंडिया, दोनों के सकल मार्जिन और कुल खर्च पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। यह देखा गया जाएगा कि 3एम सिंगापुर नार से विचाराधीन उत्पाद की खरीद करता है और इसे अपनी संबंधित कंपनी 3एम इंडिया के द्वारा भारतीय बाजार में असंबंधित ग्राहकों की फिर से बिक्री करता है।

42. हालांकि, 3एम समूह (निर्यातक/आयातक व्यापारी) के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए एलवी से उस एनआईपी की तुलना निष्पक्ष तुलना करने के लिए व्यापार के तुलनीय स्तर पर किया जाना चाहिए। भारत में घरेलू उद्योग की कीमत उस कीमत से प्रतिस्पर्धा करती जिस पर 3एम इंडिया घरेलू बाजार में फिर से बिक्री करता है और न कि [***]से जिस पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री 3एम सिंगापर द्वारा 3एम इंडिया को की जाती है। इस कारण से, निष्पक्ष तुलना के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की एनआईपी की तुलना 3एम इंडिया द्वारा विचाराधीन उत्पाद की पुन: बिक्री कीमत से की जानी चाहिए।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

43. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने एमईटी का दावा नहीं किया है, लेकिन उनमें से कुछ ने अपनी घरेलू बिक्री के आधार पर अपने सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता है।

ख. प्राधिकारी ने चीन को अपने विगत की सभी जांचों में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है और विगत जांच में सभी निर्यातकों को भी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया था। उसका विस्तार वर्तमान जांच तक किया जाना चाहिए और सभी उत्तर देने वाले निर्यातकों और उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों के अधीन कार्य करता हुआ माना जाए।

ग. आवेदक ने नियमानुसार तर्कसंगत आधार पर चीन में सामान्य मूल्य तय करने के लिए आवश्यक सूचना पहले ही प्रस्तुत की है और प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे भारत में उत्पादन की लागत, जिसे विधिवत् समायोजित किया गया है और जिसे उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च जोड़ने के बाद परिकलित किया गया हो, भारत में भुगताए किए जाने योग्य कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य तय करने हेतु इस सत्यापन योग्य सूचना के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण करे।

घ. विगत जांच में प्राधिकारी ने 50 प्रतिशत तक पाटन मार्जिन का निर्धारण किया था यद्यपि इस जांच को प्रकट विवरण के जारी किए जाने के बाद वापस लिए गए रूप में समाप्त किया जाना था। उसके बाद पाटन और बढ़ गया जिसे इस आवेदन में दिए गए अनुसार आवेदक द्वारा किया गया पाटन मार्जिन के अनुमानों से देखा जा सकता है।

ङ. उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के सत्यापन और स्वीकार्यता तथा उपर्युक्त के अनुपालन के अध्यधीन, इस नियमावली के अन्तर्गत दायित्वों को ध्यान में रखकर, प्राधिकारी पक्षकारों के बीच (उत्पादक और निर्यातक, निर्यातक और आयातक) के बीच प्रतिपूर्ति संबंधी व्यवस्था की जांच कर सकते हैं और संगत नियमों के अनुसार निर्यात कीमत तय कर सकते हैं। इसके अलावा, एक्स-वर्क्स कीमतों पर पहुंचने के लिए विभिन्न खर्च के प्रति विभिन्न समायोजनों की जांच सावधानीपूर्वक किए जाने की आवश्यकता है।

च3 प्राधिकारी द्वारा जांच

44. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अन्तर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-*

क. *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

ख. *उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;*

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

45. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सटेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है :

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) ''क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन

उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) *यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।*

(ii) *आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।*

(ख) *एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।*

(ग) *आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।*

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

46. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii)में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

47. जांच की शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कार्यवाही की। जांच की शुरुआत किए जाने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस का जवाब देने और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था के अपने दर्जे के निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) में निर्धारित मापदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी तथा संगत विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वह संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें।

48. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग किया:

i. फोशन केएल डेकोरेटिव मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड

ii. झेजियांग सो-फाइन सेल्फ-एडहेसिव प्रोडक्ट्स कं. लि. (सो-फाइन)

iii. गुआंगझोऊ युक्यूआन कम्पोजिट मैटिरियल कं. लि.

iv. जियांगसु औली न्यू मैटिरियल्स कं. लि.

v. जुसेन एचसीआर डिजिटल मीडिया कं. लि.

vi गुआंगडोंग टोम एड मीडिया लिमिटेड

vii. गुआंगझोऊ केवाई टेक्नोलॉजी लि.

viii. झाओकिंग साउदर्न न्यू मैटिरियल लि.

ix. झेजियांग फुलई न्यू मैटिरियल्स कं. लि.

x. शंघाई एफएलवाई इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.

xi. शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कं. लि.

xii. एवेरी डेन्नसन (चीन) क. लि.

xiii. झेजियांग यिया न्यू मैटिरियल्स कं. लि.

xiv. नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मैटिरियल कं. लि.

xv. 3एम इनोवेशन सिंगापुर पीटीई. लि.

xvi. टोंगजियांग सिटी यिझान ट्रेडिंग कं. लि.

49. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का विरोध नहीं किया। इस प्रकार, उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए तथा चीन की किसी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन नहीं करने पर, प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश के रूप में मानने के लिए उसे उपयुक्त समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करते हैं।

च3.1 चीन जन.गण. सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

50. इस नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में इस उत्पाद की कीमतें अथवा संरचित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों को इस प्रकार के तीसरे देश से कीमत न तो आवेदक द्वारा अथवा न तो किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध नहीं नहीं कराई है जिसे प्राधिकारी द्वारा अपनाया जा सकता था। प्राधिकारी ने उचित लाभ के साथ भारत में संरचित लागत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण पर विश्वास किया है। विचार किया गया सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

च3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

च3.2.1 चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत प्रश्नावली के अपने उत्तरों में ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर

विचार किया गया है। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

i. शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कं. लि.
ii. 3एम इनोवेशन सिंगापुर पीटीई. लि.
iii. झेजियांग सो-फाइन सेल्फ-एडहेसिव प्रोडक्ट्स कं. लि. (सो-फाइन)
iv. एवेरी डेन्नसन (चीन) क. लि.
v. जुसेन एचसीआर डिजिटल मीडिया कं. लि.
vi फोशन केएल डेकोरेटिव मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड
vii. गुआंगझोऊ युक्यूआन कम्पोजिट मैटिरियल कं. लि.
viii. जियांगसु औली न्यू मैटिरियल्स कं. लि.
ix. झाओकिंग साउदर्न न्यू मैटिरियल लि.
x. गुआंगझोऊ केवाई टेक्नोलॉजी लि.
xi. गुआंगडोंग टोम एड मीडिया लिमिटेड
xii. नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मैटिरियल कं. लि.
xiii. झेजियांग फुलई न्यू मैटिरियल्स कं. लि.
xiv. शंघाई एफएलवाई इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.
xv. झेजियांग यिया न्यू मैटिरियल्स कं. लि.
xvi. टोंगजियांग सिटी यिझान ट्रेडिंग कं. लि.

क. शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड

53. शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ने ***एमटी तक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है जिसमें से कारखानागत रूप में ***एमटी का निर्यात भारत में सीधे तौर पर असंबंधित ग्राहक को किया जाता है और ***एमटी का निर्यात 3एम इनोवेशन सिंगापुर के द्वारा संबंधित भारतीय ग्राहक नामत: 3एम इंडिया को किया जाता है।

54. निर्यातक ने यह अनुरोध किया है कि 3एम इनोवेशन सिंगापुर और 3एम इंडिया के बीच निर्यात कीमत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए क्योंकि दोनों संबद्ध कंपनियां हैं। तद्नुसार, प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के लिए निवल निर्यात कीमत उस कीमत के आधार पर तय

किया जाना है जिस पर विचाराधीन उत्पाद की पहले किसी स्वतंत्र क्रेता को फिर से बिक्री की जाती है। इस संदर्भ में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस अधिनियम की धारा 9(क)(1) की व्याख्या (ख) जो निर्यात कीमत को प्रभावित करता है, के मामले में, निर्यात कीमत उस कीमत के आधार पर तय की जाए जिस पर आयात की गई वस्तुओं की किसी स्वतंत्र क्रेता को सर्वप्रथम पुन: बिक्री की जाती है जहां निर्यात कीमत निर्यातक और आयातक के बीच संबद्धता अथवा प्रतिपूर्ति संबंधी व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय है।

55. यह नोट किया जाता है कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि 3एम इनोवेशन सिंगापुर और 3एम इंडिया के बीच निर्यात कीमत अविश्वसनीय है। प्राधिकारी ने उन्हें एक अवसर दिया था ताकि वे इसके बारे में बता सकें कि क्यों वे उस कीमत पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं जिस पर विचाराधीन उत्पाद की सबसे पहले पुन: बिक्री संगत प्रावधानों के साथ किसी स्वतंत्र क्रेता को की जाती है। तथापि, उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, यह प्राधिकारी का विवेकाधिकार है न कि हितबद्ध पक्षकारों का यह विवेकाधिकार है कि वे उस कीमत पर विचार करें जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद की सबसे पहले फिर से बिक्री कीमतों के अविश्वसनीय पाए जाने की स्थिति में किसी स्वतंत्र क्रेता को की जाती है। इस कारण से, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए 3एम इनोवेशन सिंगापुर की निर्यात कीमत पर विचार किया है।

56. समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन की अनुमति देने के बाद, भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत और पीसीएन के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है, क्रमश: ***यूएसडॉलर/एमटी और ***यूएसडॉलर/एमटी होता है।

57. मैसर्स नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, तद्नुसार, भारित औसत मार्जिन प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड और मैसर्स नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मेटिरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. को दिया जाता है।

ख. नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड(उत्पादक) और शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

58. नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए पीसीएन सहित जांच की अवधि के दौरान *** एमटी तक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि नानटंग बाइना ने भारत को सीधे तौर पर निर्यात नहीं किया बल्कि कुछ मात्राओं में निर्यात अपनी मूल कंपनी, शंघाई एनएआर के द्वारा ही किया। समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन की अनुमति देने के बाद, भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत और पीसीएन के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है, क्रमश: ***यूएसडॉलर/एमटी और ***यूएसडॉलर/एमटी होता है।

59. शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड मैसर्स नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. की होल्डिंग कंपनी है। तद्नुसार, भारित औसत मार्जिन मैसर्स नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मेटिरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.और शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड को प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार दिया जाता है।

ग. झेजियांग एसओ-फाइन सेल्फ एडहेसिव प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

60. झेजियांग एसओ-फाइन सेल्फ एडहेसिव प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए पीसीएन सहित जांच की अवधि के दौरान एफओबी और सीआईएफ पर *** एमटी तक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन की अनुमति देने के बाद, भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत और पीसीएन के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है, क्रमश: ***यूएसडॉलर/एमटी और ***यूएसडॉलर/एमटी होता है।

घ. एवेरी डेन्निसन (चीन) प्राइवेट लिमिटेड

61. एवेरी डेन्निसन (चीन) प्राइवेट लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए पीसीएन सहित जांच की अवधि के दौरान कारखानागत रूप में *** एमटी तक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन की अनुमति देने के बाद, भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत और पीसीएन के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है, क्रमश: ***यूएसडॉलर/एमटी और ***यूएसडॉलर/एमटी होता है।

ड. जुसेन एचसीआर डिजिटल मीडिया कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

62. जुसेन एचसीआर डिजिटल मीडिया कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए पीसीएन सहित जांच की अवधि के दौरान एफओबी कारखानागत रूप में कुल *** एमटी का संबद्ध वस्तुओं अर्थात सेल्फ-एडहेसिव पालीविनाइल क्लोराइड का निर्यात किया है। समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन की अनुमति देने के बाद, भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत और पीसीएन के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है, क्रमश: ***यूएसडॉलर/एमटी और ***यूएसडॉलर/एमटी होता है।

च. फोशन केएल डेकेरेटिव मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड(उत्पादक/निर्यातक) और गुआंगझोऊ युक्यूआन कम्पोजिट मैटिरियल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

63. फोशन केएल डेकेरेटिव मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड (फोशन) ने जांच की अवधि के दौरान सीधे तौर पर तथा एक संबंधित कंपनी अर्थात गुआंगझोऊ युक्यूआन कम्पोजिट मैटिरियल कंपनी लिमिटेड (युक्यूआंग) के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। फोशन ने सीधे तौर पर एफओबी रूप में *** एमटी तक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है और युक्यूआंग ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए पीसीएन सहित जांच की अवधि के दौरान ईएक्सडब्ल्यू रूप में ***एमटी तक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।गुआंगझोऊ युक्यूआन कम्पोजिट मैटिरियल कंपनी लिमिटेड ने निर्यात की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य

संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन की अनुमति देने के बाद, भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत और पीसीएन के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है, क्रमश: ***यूएसडॉलर/एमटी और ***यूएसडॉलर/एमटी होता है।

छ. जियांग्सु औली एडी मैटिरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

64. जियांग्सु औली एडी मैटिरियल कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए पीसीएन सहित जांच की अवधि के दौरान सीआईएफ कारखानागत रूप में *** एमटी तक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन की अनुमति देने के बाद, भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत और पीसीएन के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है, क्रमश: ***यूएसडॉलर/एमटी और ***यूएसडॉलर/एमटी होता है।

ज. झाओकिंग सदर्न न्यू मैटिरियल लिमिटेड, चीन जन.गण.(उत्पादक); गुआंगझोऊ केवी एडवरटाइजमेंट इक्यूपमेंट कंपनी लिमिटेड और गुआंगझोऊ टोम एडवरटाइजमेंट मैटिरियल लिमिटेड (निर्यातक)

65. झाओकिंग सदर्न न्यू मैटिरियल लिमिटेड ने कारखानागत रूप में दो कंपनियों, गुआंगडोंग टोम एड मीडिया लिमिटेड (***एमटी) और कारखानागत रूप में गुआंग झोऊ केवाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड (***एमटी) के द्वारा संबद्ध वस्तुओं अर्थात सेल्फ एडहेसिव पोलीबिनाइल क्लोराइड (***एमटी) का निर्यात किया है। बाद में गुआंगडोंग टोम एड मीडिया लिमिटेड ने कारखानागत रूप में सीधे तौर से भारत को ***एमटी और गुआंग झोऊ केवाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड के माध्यम से कारखानागत रूप में ***एमटी का निर्यात किया। गुआंग झोऊ केवाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड सीधे तौर पर भारत को कारखानागत रूप में ***एमटी और गुआंगझोऊ केके एडवरटाइजमेंट इक्यूपमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कारखानागत रूप में ***एमटी का निर्यात किया। गुआंगझोऊ केके एडवरटाइजमेंट इक्यूपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सीधे तौर पर भारत को समग्र ***एमटी का निर्यात किया।

66. समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन की अनुमति देने के बाद, भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत और पीसीएन के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है, क्रमश: ***यूएसडॉलर/एमटी और ***यूएसडॉलर/एमटी होता है।

झ. झेजियांग फुलाई न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (उत्पादक) और शंघाई एलएफवाई इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण (निर्यातक)

67. झेजियांग फुलाई न्यू मैटिरियल कंपनी लिमिटेड ने कारखानागत रूप में शंघाई एलएफवाई इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं अर्थात सेल्फ एडहेसिवल पोलीविनाइल क्लोराइड (***एमटी) का निर्यात किया है।

68. अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन की अनुमति देने के बाद, भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत और पीसीएन के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है, क्रमश: ***यूएसडॉलर/एमटी और ***यूएसडॉलर/एमटी होता है।

ञ. झेजियांग यिया न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड(उत्पादक/निर्यातक) और टोंगजियांग झानयि ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (ट्रेड)

69. झेजियांग यिया न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है और इसने सीधे तौर पर भारत को और संबंधित ट्रेडिंग कंपनी, टोंगजियांग झानयि ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) के माध्यम से इस उत्पाद का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, झेजियांग यिया न्यू मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण. ने सीधे तौर पर संबद्ध वस्तुओं का *** एम टी और संबंधित कंपनी अर्थात टोंगजियांग झानयि ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) के माध्यम से ***एमटी निर्यात किया है। समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत आदि के कारण समायोजन की अनुमति देने के बाद, भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत और पीसीएन के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य जिनका

उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि के दौरान किया गया है, क्रमश: ***यूएसडॉलर/एमटी और ***यूएसडॉलर/एमटी होता है।

च3.2.2 असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

70. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में "उपलब्ध तथ्यों" के अनुसार असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत पर विचार किया है।

च4. पाटन मार्जिन का निर्धारण

71. ऊपर उल्लिखित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे दिया गया है। यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।

क्र.सं.	उत्पादक	भारित सामान्य मूल्य (डॉलर/ एमटी)	भारित औसत निर्यात कीमत (डॉलर/ एमटी)	भारित पाटन मार्जिन (डॉलर/ एमटी)	भारित औसत पाटन मार्जिन(%)	भारित औसत पाटन मार्जिन(रेंज %)
1	फोशन केएल डेकोरेटिव मैटिरियल्स कं. लि.	***	***	***	***	(30-40)
2	झेजियांग सो-फाइन सेल्फ एडहेसिव प्रोडक्ट्स कं. लि.	***	***	***	***	10-20
3	जुसेन एचसीआर डिजिटल मीडिया कं. लि., चीन जन.गण.	***	***	***	***	20-30
4	झाओकिंग सदर्न न्यू मैटिरियल लिमिटेड, चीन जन.गण.	***	***	***	***	90-100
5.	जियांगसु औली न्यू मैटिरियल्स कं. लि.,	***	***	***	***	90-100

	चीन जन.गण.					
6.	एवेरी डेन्निसन (चीन) कं. लि.	***	***	***	***	(40-50)
7.	शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कं. लि.	***	***	***	***	10-20
8.	नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मैटरियल कं. लि., चीन जन.गण.	***	***	***	***	10-20
9.	झेजियांग यिया न्यू मैटिरियल्स कं. लि., चीन जन.गण.	***	***	***	***	20-30
10.	झेजियांग फुलई न्यू मैटिरियल्स कं. लि., चीन जन.गण.	***	***	***	***	0-10
11.	अन्य	***	***	***	***	90-100

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

छ1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

72. आवेदक ने पूर्व की जांच में "वास्तविक क्षति" और न कि "वास्तविक धीमापन" का दावा किया है। अन्य शब्दों में, आवेदक ने पूर्व की जांच में यह दावा किया कि यह एक स्थापित उद्योग है जो 2012 से कार्यरत है। ऐसी स्थिति में, यह दावा नहीं कर सकता है कि इस जांच में यह एक स्थापित उद्योग नहीं है।

73. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस जांच को "वास्तविक क्षति" और न कि "वास्तविक धीमापन" का आकलन करने के लिए शुरु किया। तदनुसार, किसी भी परिस्थिति में वास्तविक धीमापन को शामिल करने के लिए जांच के इस चरण में जांच के कार्य-क्षेत्र को संशोधित करने के लिए यह अनुमत्य नहीं है।

74. आवेदक ने अपने आवेदन में वास्तविक धीमापन का भी दावा किया था। हालांकि, आवेदक ने दिनांक 14 अगस्त, 2023 को मौखिक सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया कि चूंकि जांच

की शुरुआत केवल वास्तविक क्षति के लिए की गई है, वे वास्तविक धीमापन के लिए अपने दावे को नहीं छोड़ रहे हैं। उसके लिए पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकारी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि वास्तविक धीमापन की अवधारणा घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया जाता है जिसे अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है और जिसने उचित समयावधि तक प्रदर्शन नहीं किया है अर्थात् यह आरंभिक (अभी शुरु ही हुआ है) अथवा एम्ब्रायोनिक चरणों (शुरु होने की प्रक्रिया में) है।

75. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षति संबंधी सूचना गलत और भ्रामक है क्योंकि इन उत्पादों से संबंधित सूचना जिसे आवेदक द्वारा केवल लेमिनेट किया गया है, को भी क्षति की जांच से अवश्य बाहर किया जाना चाहिए।

76. आवेदक ने 50-60 प्रतिशत पाटन मार्जिन का दावा किया है जो बहुत ही अधिक अतिश्योक्त और उचित तथ्यों के आधार पर नहीं होना प्रतीत होता है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के अनुसार और न कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर निवल निर्यात कीमत पर विचार करें। यह भी स्पष्ट है कि आवेदक ने निम्नतर निवल निर्यात कीमत दर्शाने के लिए अप्रमाणित समायोजन करना अपनाया है और समायोजन केवल सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों के आधार पर तय किया जा सकता है।

77. आवेदक ने जांच की शुरुआत के बाद क्षति संबंधी अपनी सूचना को संशोधित किया है क्योंकि जांच की शुरुआत के समय जांच की अवधि में परिवर्तन हुआ है अर्थात जिसे आवेदक द्वारा प्रस्ताव किया गया है। एक अद्यतित क्षति संबंधी सूचना अन्ततः निर्धारित किए गए पीसीएन को देखते हुए 1 अगस्त, 2023 को प्रस्तुत की गई है और यह स्पष्ट था कि इस अनुरोध में अनुक्रमण संबंधी अनेक त्रुटियां थीं और एक संशोधित रूपांतर 4 अगस्त, 2023 को परिचालित किया गया था। हालांकि, अप्रैल, 2021 से जून, 2021 की अवधि के लिए अनुक्रमण अभी भी सही प्रतीत नहीं होता है और ऐसी अवधि के लिए उचित वार्षिकीकरण स्पष्ट रूप से उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार क्षति संबंधी सूचना इसकी सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करती है।

78. आवेदक ने क्षति की पूरी अवधि के दौरान स्थिर क्षमता का दावा किया है जबकि एनएफए में आधार वर्ष में 100 (सूचीबद्ध) से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 160 (सूचीबद्ध) तक बहुत अधिक वृद्धि हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के गैर-मौजूद मामले को सिद्ध करने के लिए भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई।

79. यह भी अनुरोध किया जाता है कि इस प्रकार की हानि संबद्ध आयातों के कारण नहीं हुई है बल्कि उत्पादन की बहुत अधिक उच्च लागतों के कारण हुई है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक के इस दावे का खंडन किया है कि आवेदक प्रक्रिया का कैलेंडर बनाकर मोनोमेरिक और पोलीमेरिक पीवीसी फिल्म का उत्पादन करने के लिए बैकवर्ड इंटिग्रेटेड था और यह ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार वांछित एसएवी का उत्पादन करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अथवा मांग किए जाने पर कास्ट पीवीसी फिल्म जैसे अन्य प्रकारों के पीवीसी फिल्मों की खरीद करता है।

80. जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्राओं में आवेदक द्वारा निर्माण किए गए और बेचे गए उत्पादों की केवल क्षति संबंधी सूचना को क्षति संबंधी सूचना में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, हमारी समझ के अनुसार आवेदक ने तथाकथित निर्मित(केवल लेमिनेट किया हुआ) उत्पादों की सूचना भी शामिल की तथा क्षति संबंधी सूचना में मामूली मात्राओं में भी जांच की अवधि में इसके द्वारा बेचा गया था। प्रतिवादी प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई क्षति संबंधी सूचना को स्वीकार नहीं करें क्योंकि वह भ्रामक है और इस जांच को तत्काल समाप्त करें।

81. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना, आवेदक के दावे में कोई सच नहीं है कि इसको चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण क्षति हुई है जिसे निम्नलिखित तथ्यों से देखा जाता है:

क. चीन जन.गण. से आयात कीमत में बहुत अधिक वृद्धि; चीन जन.गण. से कीमतों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष में 100 (सूचकांक) से बढ़कर जांच की अवधि में 125 (सूचकांक) तक हो गया। इस कारण से, यह स्पष्ट है कि आवेदक को चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी है।

ख. अंतिम मालसूची में बहुत अधिक गिरावट: जांच की अवधि की प्रारंभिक मालसूची 422 (सूचकांक) था जो बहुत अधिक गिरकर जांच की अवधि में 52 (सूचकांक) हो गया। इस कारण से, यह स्पष्ट है कि आवेदक को चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

ग. कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है: चीन जन.गण. से कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष में 100 (सूचकांक) से बढ़कर जांच की अवधि में 125 (सूचकांक) हो गया। प्रति इकाई घरेलू बिक्री प्राप्ति में भी बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई और यह आधार वर्ष में 100 (सूचकांक) से बढ़कर जांच की अवधि में 134(सूचकांक) हो गई। इस कारण से, यह स्पष्ट है कि कीमत में कोई ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है। तद्नुसार, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि चीन जन.गण. से आयातों के कारण आवेदक के कार्य-निष्पादन को क्षति नहीं पहुंची थी।

82. आवेदक उद्योग को चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण क्षति, यदि कोई हो, नहीं हुई है बल्कि यह वैश्विक स्तर पर संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में गिरावट तथा उनकी आंतरिक अक्षमताओं के कारण हुई है। किसी भी संभावित क्षति के लिए संबद्ध आयातों से संबंधित कारकों जैसे उच्च उत्पादन लागत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में अक्षमता को जिम्मेदार माना जा सकता है। कुछ लागतों को कीमतों की गणना करने में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कीमत में कटौती का आवेदक के दावे को समर्थन में आंकड़े नहीं होने के कारण चुनौती दी गई है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह विश्वास है कि यह सुझाव देता है कि संबद्ध आयातों का वास्तव में उच्चतर पहुंच मूल्य हो सकता है और इस प्रकार क्षति के दावे कमजोर हो सकते हैं।

83. निर्यात बाजारों पर ध्यान: आवेदक की निर्यात बिक्री में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई और यह आधार वर्ष में 100 (सूचकांक) से बढ़कर जांच की अवधि में 155 (सूचकांक) हो गया। इस कारण से, यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक का प्राथमिक बाजार निर्यात बाजार है और न कि घरेलू बाजार।

छ2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

84. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:

क. यद्यपि याचिकाकर्ता ने अपनी एकीकृत संयंत्र से दिसंबर, 2016 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया, यह बाजार में अपना स्थान प्राप्त करने और गहन पाटन के कारण संबद्ध वस्तुओं के सभी रेंज का उत्पादन करने के लिए उत्पादन सुविधा का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को क्षमता के बहुत कम उपयोग, अपेक्षाकृत बढ़ती हुई हानि के कारण क्षति हो रही है और अपने आप पर प्रचालनों को जारी रखने की इसकी क्षमता को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण से, याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे याचिकाकर्ता द्वारा उठाई जा रही वास्तविक क्षति के साथ वास्तविक धीमापन की दृष्टि से भी इस मामले की जांच करें।

ख. चीन से पाटित आयातों के कारण तथा घरेलू उत्पादक द्वारा उठाई जा रही क्षति के कारण, आवेदक ने पुन: 2020 में प्राधिकारी से संपर्क किया और दिनांक 7 फरवरी, 2020 को जांच शुरु की गई थी। यद्यपि प्राधिकारी ने दिनांक 21.01.2021 और फिर दिनांक 20.7.2021 को जारी किए गए अपने प्रकटन विवरण में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध पर एक सकारात्मक निष्कर्ष निकाला। प्राधिकारी एक खंडित उत्पाद कार्य-क्षेत्र के साथ आए जिसके फलस्वरूप शुल्क की बहुत अधिक प्रवंचना होती और इस कारण से प्रस्तावित शुल्क के प्रभाव को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया गया है। इस कारण से, आवेदक एक नया आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) के अन्तर्गत आवेदन वापस लेने के लिए बाध्य था और इस जांच को तदनुसार 03.08.2021 को समाप्त कर दिया गया था।

ग. पूर्व जांच में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आवेदक घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी और यह भी पाया था कि क्षति मार्जिन बहुत अधिक था।

घ. जांच को वापस लेने और उसका समाप्त करने के बाद, घरेलू उद्योग की स्थिति आगे सभी भौतिक और वित्तीय मापदंडों में खराब हो गई है जिसे आवेदन में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है।

ड. आवेदक का एसएवी संयंत्र बहुत कम क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है और यह जांच की अवधि के दौरान *** प्रतिशत से वर्तमान में*** प्रतिशत से कम है (पूर्व की जांच की अवधि में लगभग *** प्रतिशत से नीचे), जब कि पाटन और अधिक हो गया।

च. संबद्ध देश से आयातों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है और यह आधार वर्ष से लगभग 50 प्रतिशत बढ़कर जांच की अवधि में लगभग 13,000 एमटी हो गया है।

छ. घरेलू उद्योग की उत्पादन और घरेलू बिक्री आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग आधी हो गई है, जो स्वयं पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण बहुत ही कम थी और यह गंभीर क्षति को दर्शाता है।

ज. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा गिरकर *** प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है जबकि पाटित आयात इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग बाजार की मांग का लगभग *** प्रतिशत पूरा करने में सक्षम है, बाजार हिस्सा का लगभग *** प्रतिशत है।

झ. पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में बहुत अधिक कटौती हुई है और इसे कम मात्रा में बेचा गया है तथा घरेलू प्रक्रिया पाटित आयातों के कीमत प्रभावों के कारण गंभीर रूप से कम हो गई है और इन पर दबाव पड़ा है।

ञ. इन सभी कारकों ने घरेलू उद्योग को बहुत अधिक हद तक हानि पहुंचाने में योगदान किया है और इस हानि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है और यह अंतिम जांच के समाप्त किए जाने के बाद लगभग दोगुना हो गया है।

छ3 प्राधिकारी द्वारा जांच

85. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण इसमें आगे वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

86. आवेदक ने यह अनुरोध किया था कि पाटित आयातों ने स्पष्ट रूप से वर्ष 2016-17 से ही इसकी स्थापना में बाधा पहुंचाई है और आवेदक ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वे जांच में वास्तविक क्षति के साथ वास्तविक धीमापन को शामिल करें।

87. आवेदक ने पूर्व में चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे प्रकटन विवरण के जारी किए जाने के बाद वापस ले लिया गया था। आवेदक ने अपने आवेदन में यह दावा किया था कि यह वर्ष 2012 से विचाराधीन उत्पाद का निर्माण कर रहा था। इसके अलावा, आवेदक ने पूर्व की जांच में "वास्तविक क्षति" और न कि "वास्तविक धीमापन" का दावा किया था।

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक लंबे समय से संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। आवेदक ने पूर्व की जांच में वास्तविक धीमापन का दावा भी नहीं किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वास्तविक धीमापन नई इकाइयों के मामले में लागू है जहां आंकड़े/सूचना क्षति की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है। वास्तविक धीमापन की अवधारणा घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू की गई है जिसे अभी सिद्ध नहीं किया गया है और जिसने अभी उचित समयावधि से सही कार्य-निष्पादन नहीं किया है अर्थात यह आरंभिक (अभी शुरु हुआ है) अथवा एम्ब्रायोनिक चरणों (आरंभ करने की प्रक्रिया में) है। वर्तमान मामले में, चूंकि आवेदक एक स्थापित उद्योग है अत: यह दावा कि चीन जन.गण. से आयातों के कारण भारत में इसकी स्थापना में वास्तविक रूप से बाधा उत्पन्न हो रही है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

89. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..."घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में

घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

90. क्षति के वर्तमान विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों तथा कीमतों और लाभप्रदता पर उसके प्रभावों की जांच की है ताकि क्षति के मौजूद होने और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों, यदि कोई हो, की जांच की जा सके। प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर ध्यान दिया है तथा इस नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है।

91. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंड गिरावट को दर्शाएं। कुछ मापदंड गिरावट दर्शा सकते हैं जबकि कुछ गिरावट नहीं दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी क्षति के सभी मापदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा नहीं।

छ3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

92. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में विचार किया है। पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से लिए गए लेन-देनवार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।

विवर	यूनिट	2018-19	2019-20	अप्रैल 2020	पीओआई

				– जून 2021 (वार्षिकीकृत)	(जुलाई 21 – जून 22)
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	36	47
चीन से संबद्ध आयात	एमटी	12,638	13,080	8,098.24	10,519
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103.5	64	83
अन्य देशों से आयात	एमटी	3,263	2,925	2,729.02	1,310
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	83	40
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	65	72

93. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई है लेकिन जांच की अवधि में इसमें मामूली रूप से वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देश से आयात की मात्रा

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	अप्रैल 2020 – जून 2021 (वार्षिकीकृत)	पीओआई (जुलाई 21 – जून 22)

संबद्ध देश– चीन	एमटी	12,638	13,080	8,098.24	10,519
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	64	83
अन्य देश	एमटी	3,263	2,925	2,729.02	1,310
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	83	40
कुल आयात	एमटी	15,901	16,005	10,827.26	11,829
	सूचीबद्ध	100	100	68	74
आयात के संबंध में		**2018-19**	**2019-20**	**अप्रैल 2020 – जून 2021 (वार्षिकीकृत)**	**पीओआई (जुलाई 21 – जून 22)**
भारत में कुल आयात	%	79	82	75	89
भारतीय मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	99	116
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	1281	177

94. यह देखा गया है कि:

क. आधार वर्ष 2018-19 से, संबद्ध आयातों में 2019-20 में वृद्धि हुई है, 2020-21 में गिरावट आई है लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है।

ख. उसी प्रकार, घरेलू उत्पादन और मांग की तुलना में संबद्ध आयातों में भी क्षति की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में इसमें कमी आई है।

ग. कुल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में जांच की अवधि के दौरान पिछले वर्ष और आधार वर्ष की तुलना किए जाने पर वृद्धि हुई है।

छ3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

95. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्यथा कीमतों पर दबाव पड़ने वाला अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

96. कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए, इस उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, जो व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों का निवल है, के बीच तुलना की गई है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
बिक्री से प्राप्ति	रु./एमटी	***
पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,88,975
कीमत में कटौती	रु./एमटी	***
	%	***%

	रेंज	0-10

97. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम रही है, जो कीमत में सकारात्मक कटौती को दर्शाता है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

98. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातोंके कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नानुसार की गई थी:

विवरण	**यूनिट**	**2018-19**	**2019-20**	**अप्रैल 2020 – जून 2021 (वार्षिकीकृत)**	**पीओआई (जुलाई 21 – जून 22)**
बिक्री की लागत (कारखानागत)	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	109	143
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	110	133
पहुंच कीमत	रु./एमटी	1,67,542	1,59,028	1,71,602	1,88,975
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	102	113

99. यह देखा गया है कि पहुंच कीमतों में वर्ष 2018-19 (आधार वर्ष) से तुलना किए जाने पर 2019-20 में की कमी आई लेकिन 2020-21 और जांच की अवधि में इसमें वृद्धि होना शुरु हो गई। घरेलू उद्योग क्षति की पूरी अवधि के दौरान उत्पादन की अपनी लागत से अधिक पर इस उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम नहीं हो पाया है। इस कारण से, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और ये कम हो रही हैं।

छ3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

100. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

101. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखकर वस्तुनिष्ठ तरीके से क्षति संबंधी मापदंडों की जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

102. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2018-	2019-	अप्रैल 2020	पीओआई

		19	20	– जून 2021 (वार्षिकीकृत)	(जुलाई 21 – जून 22)
संस्थापित क्षमता(पीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन मात्रा	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	36	47
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	36	46
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	36	47

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति की पूरी अवधि के दौरान कमी आई है लेकिन जांच की अवधि में इसमें मामूली रूप से वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई थी लेकिन पिछले वर्ष की तुलना किए जाने पर इसमें कमी आई है।

ख. बाजार हिस्सा

104. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और आयात निम्नानुसार थे:

	यूनिट	2018-19	2019-20	अप्रैल 2020 – जून 2021 (वार्षिकीकृत)	पीओआई (जुलाई 21 – जून 22)
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	55	66
संबद्ध देश - चीन से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	98	115
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	127	55

105. यह देखा गया है कि चीन से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 2018-19 (आधार वर्ष) की तुलना में 2019-20 में वृद्धि हुई लेकिन 2020-21 में इसमें कमी आई है। उसके बाद चीन से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में जांच कीअवधि में यह स्थिर रही है।

ग. मालसूची

106. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	**यूनिट**	**2018-19**	**2019-20**	**अप्रैल 2020 – जून 2021 (वार्षिकीकृत)**	**पीओआई (जुलाई 21 – जून 22)**
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	172	192	136

107. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है।

घ. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

108. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**2018-19**	**2019-20**	**अप्रैल 2020 - जून 2021 (वार्षिकीकृत)**	**पीओआई (जुलाई 21 - जून 22)**
बिक्री की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	94	109	143
एनएसआर/यूनिट	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	102	110	134
पीबीटी	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	(100)	(43)	(102)	(214)
पीबीआईटी	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	(100)	(31)	(96)	(226)
नकद लाभ	रु./एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	(100)	0	(31)	(202)
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचकांक*	(100)	(605.99)	(624.41)	(126.64)

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान हानि हुई। घरेलू उद्योग को नकद हानि भी हुई है और लगाई गई पूंजी पर इसकी आय क्षति की पूरी अवधि के दौरान ऋणात्मक है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

110. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना की जांच नीचे दिए गए अनुसार की है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	अप्रैल 2020 - जून 2021 (वार्षिकीकृत)	पीओआई (जुलाई 21 - जून 22)
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	76	51	43
वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	76	47	51
प्रति दिन	एमटी/	***	***	***	***

उत्पादकता	दिन				
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	71	36	47
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/ एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	94	70	109

111. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी में क्षति की पूरी अवधि के दौरान कमी आई है। घरेलू उद्योग की प्रति दिन उत्पादकता में भी क्षति की पूरी अवधि के दौरान कमी आई है लेकिन जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है।

च. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संयंत्र और मशीनरी में बहुत अधिक निवेश किया है और विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता स्थापित की है। हालांकि, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन को बहुत अधिक हद तक हानि हुई है क्योंकि इसे बहुत अधिक घाटा हुआ है और इसकी आय ऋणात्मक है। यह संसूचित करता है कि इन आयातों के कारण नए निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

छ.3.4 **क्षति और क्षति मार्जिन का आकार**

113. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत पर जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना और आंकड़ों को लेकर विचार किया गया है। घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत तय की गई है और इसकी तुलना नीचे दी गई तालिका के अनुसार क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों में से प्रत्येक से पहुंच

कीमत से की गई है। असहयोगी निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन पर विचार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक/निर्यातक	भारित औसत एनआईपी (डॉलर/एमटी)	भारित औसत पहुंच मूल्य (डॉलर/एमटी)	भारित औसत क्षति मार्जिन (डॉलर/एमटी)	भारित औसत क्षति मार्जिन (%)	भारित औसत क्षति मार्जिन (रेंज%)
1	फोशन केएल डेकोरेटिव मैटिरियल्स कं. लि.	***	***	***	***	(30-40)
2	झेजियांग सो-फाइन सेल्फ अधेसिव प्रोडक्ट्स कं. लि.	***	***	***	***	10-20
3	जुसेन एचसीआर डिजिटल मीडिया कं. लि., चीन जन.गण.	***	***	***	***	20-30
4	झाओकिंग सदर्न न्यू मैटिरियल लिमिटेड, चीन जन.गण.	***	***	***	***	90-100
5.	जियांगसु औली न्यू मैटिरियल्स कं. लि., चीन जन.गण.	***	***	***	***	90-100
6.	एवेरी डेन्निसन (चीन) कं. लि.	***	***	***	***	(40-50)
7.	शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कं. लि.	***	***	***	***	10-20
8.	नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मैटरियल कं. लि., चीन जन.गण.	***	***	***	***	10-20
9.	झेजियांग यिया न्यू मैटिरियल्स कं. लि.,	***	***	***	***	20-30

	चीन जन.गण.					
10.	झेजियांग फुलई न्यू मैटिरियल्स कं. लि., चीन जन.गण.	***	***	***	***	0-10
11.	अन्य	***	***	***	***	90-100

ज. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

114. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचलन अथवा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और निर्यात कार्य-निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस तथ्य की भी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

ज1 तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

115. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों के अलावा, कोरिया गणराज्य से आयातों की मात्रा बहुत अधिक है। हालांकि, कोरिया गणराज्य से आयातों की कीमत संबद्ध देश से आयातों की कीमत तथा घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत एवं बिक्री कीमत से बहुत उच्चतर है। इस कारण से, इन देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है। उपर्युक्त देश को छोड़कर अन्य देशों से आयातों की मात्रा बहुत अधिक नहीं है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति के लिए अन्य देशों से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ज2 मांग में संकुचन

116. संबद्ध वस्तुओं की मांग में वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और इस प्रकार मांग में संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। चूंकि संबद्ध वस्तुओं की मांग में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग को इस कारण से हानि नहीं हुई है।

ज3 खपत की पद्धति में परिवर्तन

117. विचाराधीन उत्पाद के खपत की पद्धति में कोई अधिक परिवर्तन का प्रमाण घरेलू उद्योग अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नहीं दिया गया है। अतः, खपत की पद्धति में परिवर्तनों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ज4. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

ज.5 प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

ज6 निर्यात कार्य-निष्पादन

120. दी गई सूचना पर केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए विचार किया गया है।

ज7 अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

121. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के कार्य-निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। इस कारण से, आवेदक द्वारा उत्पादन किए गए और बेचे गए अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

झ1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

122. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ेगा। एक मजबूत जनहित कारक मौजूद है जिसे पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने का निर्धारण का मार्गदर्शन करना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब प्रयोक्ताओं, जो एसएमई तथा एमएसएमई हैं, के लिए एसएवी की लागतें तत्काल बढ़ जाएगी क्योंकि वे आयातक जो एसएवी का व्यापार कर रहे हैं, परिणामी कीमत वृद्धि उपभोक्ताओं पर डालने के लिए बाध्य होंगे। इससे प्रयोक्ताओं का लाभ मार्जिन कम हो जाएगा जिनमें से अनेक लघु उद्योग हैं, उनके नकदी के प्रवाह पर प्रभाव डालेगा तथा उनकी लाभप्रदता बहुत कम हो जाएगी अथवा इसके परिणामस्वरूप उनको हानि होगी। अप्रत्यक्ष तौर पर, यह प्रयोक्ताओं को बने रहने के लिए पूंजी खर्च, श्रम लागतें और अन्य ओवरहैड को कम करने अथवा अपने निर्माण इकाईयों को बंद करने का निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगा, जिसके फलस्वरूप नौकरी की हानि होगी।

ख. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता पर इस प्रभाव का परिकलन किया है। आवेदक के अनुसार, यदि चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 20 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब इसके फलस्वरूप अंतिम प्रयोक्ता पर लागत में भारतीय रुपये/प्रति वर्गमीटर में केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि यदि चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 20 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब इसके फलस्वरूप अंतिम प्रयोक्ता पर लागत में भारतीय रुपये/प्रति वर्गमीटर में केवल 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

ग. यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया परिकलन पूर्ण रूप से गलत और भ्रामक है और यह पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि तीन परिदृश्य हैं जिसके अन्तर्गत पाटनरोधी शुल्क, यदि लगाया गया, के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है। ये तीन परिदृश्य निम्नलिखित हैं:

i. परिदृश्य क: वह परिदृश्य जहां एसएवी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क प्रयोक्ता/परिवर्तक पर नहीं डाला जाता है।

ii. परिदृश्य ख: परिदृश्य क: वह परिदृश्य जहां आयातों पर पाटनरोधी शुल्क प्रयोक्ता/परिवर्तक को किसी आयातक द्वारा डाला जाता है।

iii. परिदृश्य ग: वह परिदृश्य जहां एसएवी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क किसी परिवर्तक/प्रयोक्ता पर डाला जाता है और आगे उसे अंतिम उपभोक्ता पर डाला जाता है।

घ. चूंकि संशोधित याचिका 30-40 प्रतिशत के दायरे में पाटन और क्षति मार्जिन, दोनों का दावा करता है, प्रतिवादियों ने आयातकों और प्रयोक्ताओं/परिवर्तकों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का आकलन करने के लिए 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के पाटनरोधी शुल्क पर विचार किया है। इसके अलावा, हमने इस विश्लेषण के लिए संशोधित याचिका में यथा-उल्लिखित 45 रु. प्रति वर्गमीटर की औसत की सीआईएफ कीमत पर विचार किया हे।

ड. जब पाटनरोधी शुल्क 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के दायरे में लगाया जाता है और आयातक बाजार को बनाए रखने के लिए इसके प्रभाव को अवशोषित करने के लिए बाध्य हैं, आयातकों के लाभ का 10 प्रतिशत क्रमश: 13 प्रतिशत और 19 प्रतिशत की हानि में परिवर्तित हो जाता है। जब आयातक पाटनरोधी शुल्क को अंतिम प्रयोक्ताओं/परिवर्तकों/प्रसंस्करणकर्ताओं पर डाल देता है लेकिन वे पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को अवशोषित कर लेते हैं तब 5 प्रतिशत का निवल लाभ क्रमश: 8 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की निवल हानि में परिवर्तित हो जाता है। जब इन अंतिम प्रयोक्ताओं/परिवर्तकों/प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को अंतिम उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है तब बिक्री कीमत में 40 प्रतिशत और 19 प्रतिशत तक वृद्धि होती है।

च. उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जब तैयार उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत का इतना अधिक योगदान है तब संबद्ध आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क परिणाम के रूप में कुल लागत पर उच्चतर प्रभाव डालेंगे जिससे यह व्यापार

गैर-अर्थक्षम हो जाएगा। यह एमएसएमई क्षेत्र में लघु मुद्रकों/परिवर्तकों के जीवित रहने के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करेगा। प्रयोक्ता उद्योग अपने ग्राहकों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को डालने की स्थिति में नहीं होंगे।

छ. प्रतिवादी आगे यह अनुरोध करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग बहुत कम मार्जिन पर कार्य करता है और पाटनरोधी शुल्क को लगाने से प्रयोक्ता उद्योग घाटे की स्थिति में आ जाएगा। इस कारण से, पाटनरोधी शुल्क लगाना भारत में समग्र प्रयोक्ता उद्योग खत्म हो जाएगा। इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बाजार में स्वेदेशी स्तर पर निर्मित विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति का अभाव है, पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में मांग-आपूर्ति में अंतर की स्थिति और खराब हो जाएगी।

ज. प्रतिवादी यह भी अनुरोध करते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया भी जाता है तब याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन किए गए एसएवी के साथ गुणवत्ता के मुद्दे इतने गंभीर हैं कि आयातक/प्रयोक्ता याचिकाकर्ता के उत्पादों को नहीं खरीदेंगे। प्रतिवादी यह भी अनुरोध करते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के कारण गैर-अर्थक्षम हो जाते हैं तब वे दुकान को बंद करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसका भारत में विज्ञापन उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

झ. उपर्युक्त चर्चाओं से सामने आए तथ्य यह दर्शाते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार किसी भी पाटनरोधी शुल्क का प्रयोक्ताओं पर और सामान्य तौर पर आम जनता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। स्वयं जांच की शुरुआत में जैसा कि उल्लेख किया गया है, सेल्फ-एडेसिव विनाइल लचीला और विभिन्न गुणों वाली सामग्री है, जो दीवारों और कठोर सतहों पर माउंटिंग के लिए सही है और संबद्ध वस्तुओं का पूरे देश में विभिन्न उपयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आवेदक की स्वीकारोक्ति के अनुसार, 20 प्रतिशत तक पाटनरोधी शुल्क का अंतिम प्रयोक्ता की लागत पर लगभग 4 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा जो अत्यधिक प्रभाव है।

झ2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

123. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. शुल्क लगाने का अंतिम प्रयोक्ताओं पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। विज्ञापन उद्योग इस उत्पाद का सबसे बड़ा उपभोक्ता/प्रयोक्ता है तथा यह उद्योग बहुत उच्च मार्जिन पर कार्य करता है और इसके पास एसएवी की लागत में वृद्धि के कारण विज्ञापन सामग्री की लागत में मामूली वृद्धि को अवशोषित करने की क्षमता है।

ख. एसएवी के विज्ञापनकर्ताओं अथवा प्रयोक्ताओं पर एसएवी की कीमत में वृद्धि के प्रभाव का एक नमूना/संसूचन नीचे दिया गया है:

प्रभाव का विश्लेषण (एसएवी को 250 जीएसएम पर रखते हुए)	**रु./वर्ग मीटर**	**टिप्पणी**
एसएवी प्रति वर्गमीटर की औसत कीमत सीआईएफ	40.75	
प्रति वर्गमीटर औसत पहुंच मूल्य	45.25	
प्रति वर्गमीटर औसत पहुंच मूल्य - अंतिम प्रयोक्ता को लागत	49.76	अंतरदेशीय भाड़े और व्यापार मार्जिन @10% की दर से
मुद्रित एसएवी सामग्री/विज्ञापनकर्ता प्रति वर्गमीटर के अंतिम प्रयोक्ता द्वारा भुगतान की गई औसत कीमत	100	
अंतिम प्रयोक्ता को अंतिम कीमत में एसएवी की लागत का प्रतिशत	50%	

20 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क के साथ प्रति वर्गमीटर एसएवी की लागत	58.72	
अंतिम प्रयोक्ता पर प्रभाव	4%	नगण्य
30 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क के साथ प्रति वर्गमीटर एसएवी की लागत	63.20	
अंतिम प्रयोक्ता पर प्रभाव	6%	नगण्य

झ 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

124. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के वास्ते उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से अनेक आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोतों को बदलने के लिए उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, वे कारक जो संभवत: पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के समायोजन में गति ला सकते हैं अथवा विलंब कर सकते हैं, संबंधी सूचना मांगी।

125. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि बाजार में आयात उचित कीमतों पर हों। इस प्रकार, प्रयोक्ता के पास उचित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात करने का अपेक्षाकृत अधिक विकल्प

और स्वतंत्रता बनी रहेगी जो बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, जैसा कि पूर्व के पैराओं में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने जांच की अवधि में उत्पादन किए गए उत्पाद किस्मों जिसे बहुत अधिक क्षति का सामना करना पड़ा, पर शुल्क लागू करने का प्रस्ताव किया है ।

126. उसी प्रकार, गुणवत्ता और मांग-आपूर्ति में अंतर के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना आयातों पर एक प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करता है। पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने का उद्देश्य आमतौर पर खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के कारण उत्पन्न व्यापार विरूपण के मुद्दे का समाधान करना है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि इस देश में मांग-आपूर्ति में अंतर हो तब विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर इस उत्पाद को लाकर देश में इस अंतर को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। हालांकि, मांग-आपूर्ति में अंतर की मौजूदगी इस उत्पाद के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है।

127. प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव के संबंध में, केवल घरेलू उद्योग ने अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का उल्लेख किया है और वह 4-6 प्रतिशत के दायरे में है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा का उल्लेख नहीं किया है और उसके बदले आयातकों के लिए प्रभाव की मात्रा का उल्लेख किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि विज्ञापनकर्ताओं द्वारा और न कि विज्ञापन सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं और विज्ञापन सामग्रियों, जिसके लिए विचाराधीन उत्पाद का उपयोग किया जाता है, द्वारा खपत किया जाता है और वह निहित वस्तुओं और विज्ञापन दी गई सेवाओं के मूल्य का बहुत कम हिस्सा है। इस कारण से, विज्ञापन सामग्री पर 6 प्रतिशत की लागत वृद्धि का उस विज्ञापनकर्ता, जो विज्ञापन का उपयोग करते हैं, पर महत्वहीन प्रभाव पड़ेगा।

ञ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ञ1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

128. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी द्वारा नोट की गई उत्पादन प्रक्रिया बल्कि सरल है और सभी अलग-अलग प्रकारों के एसएवी का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकीय क्षमता को नहीं दर्शाता है।

ख. याचिकाकर्ता के पास एसएवी के अलग-अलग प्रकारों जैसे माउंटिंग विनाइल, पेट लाइनर्स की अधेसिव कोटिंग, बब्बल-फ्री एसएवी के लिए टेक्स्चर्ड रोलर, अलग अलग प्रकारों के अधेसिव वाले कोटिंग रिलीज लाइनरों के निर्माण के लिए अलग अलग मशीनें नहीं हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में स्पष्टता नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या 100 माइक्रोन के विनिर्देश पीवीसी फिल्म पर अथवा समग्र रूप से एसएवी उत्पाद के लिए अथवा फिल्म+अधेसिव के लिए लागू रहते हैं। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में संसोधन करें और यह स्पष्ट करें कि यह पीवीसी फिल्म की मोटाई से संबंधित है। प्राधिकारी यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या माइक्रोन केवल फिल्म की मोटाई को शामिल करता है अथवा क्या यह फिल्म, ग्लू और लाइनर पर विचार करते हुए अथवा किसी अन्य आधार पर कुल मोटाई है।

घ. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में रिलीज पेपर/लाइनर का संदर्भ शामिल नहीं है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे को संशोधित करें और इसे रिलीज पेपर/लाइनर के संदर्भ को शामिल कर पूर्ण बनाएं।

ड. विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करते समय, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 25 में स्टिकर, टेप, लेबल, पाउच, पीपी, पीईटी, टीपीयू, इंकजेट मीडिया (50 माइक्रोन से कम), प्रोफाइल, क्लॉथ, रिफ्लेक्टिव, मेटेलाइज्ड, ग्लो विनाइल, एचडीपीई, फ्लोर मार्किंग टेप, एक्रिलिक, ऑटोमेटिव, रिफ्लेक्सिव फिल्म्स, सन-कंट्रोल फिल्म्स अथवा ग्लास सेफ्टी फिल्म्स जैसे सेल्फ अधेसिव फिल्मों के अपवर्जन को शामिल नहीं किया है। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग कोल्ड लेमिनेशन प्रक्रिया के माध्यम से एसएवी का निर्माण नहीं करता है और इस कारण से उसे भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।

च. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अंतिम जांच परिणामों में तथा अंतिम जांच परिणामों के भाग बनने वाली शुल्क तालिका में कार्यान्वयन के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के मस्तिष्क में दुविधा से बचने के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे की परिभाषा में विचाराधीन उत्पाद के अपवर्जनों का कृपया उल्लेख करें।

छ. प्राधिकारी द्वारा सभी अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित 90-100 प्रतिशत की क्षति का पाटन मार्जिन 80-90 प्रतिशत क्षति मार्जिन बहुत अधिक है और भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की गणना में बहुत अधिक अंतर है। उत्पादकों/निर्यातकों ने तर्क दिया है कि यह विसंगति प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए गलत पीसीएन पद्धति के कारण है।

ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि उन्होंने बार-बार आंकड़ों में परिवर्तन किया है। घरेलू उद्योग ने जांच की प्रक्रिया के दौरान अनेक अवसरों पर अद्यतित याचिकाएं और अद्यतित क्षति संबंधी सूचना दायर की है। इसके अलावा, पिछले वर्षों के लिए क्षति संबंधी कुछ सूचना भी आवेदन में दी गई सूचना की तुलना में संशोधित क्षति संबंधी सूचना में अलग थी।

झ. संबद्ध आयातों में वृद्धि भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के कारण है जिसे घरेलू उद्योग पूरा करने में सक्षम नहीं है। घरेलू उद्योग ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की अधिक मांग के बावजूद अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

ञ. कुल आयातों की तुलना में संबद्ध आयातों की मात्रा पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत मात्रा संबंधी प्रभाव की जांच करने के लिए एक संगत मात्रा में नहीं है।

ट. जांच की अवधि में 0-10 प्रतिशत की कीमत कटौती बहुत अधिक नहीं है। समग्र रूप से क्षति की अवधि के लिए कीमत में कटौती संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है और यह केवल जांच की अवधि से संबंधित नहीं है।

ठ. झेजियांग फुलई न्यू मैटिरियल्स कं., लिमिटेड ने अनुरोध किया कि वे प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में निकाले गए निष्कर्षों से पूर्ण रूप से सहमत है कि उनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है। हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया कि प्रकटन विवरण में निर्धारित क्षति मार्जिन के आधार पर अंतिम जांच परिणामों में झेजियांग फुलई न्यू मैटिरियल्स कं., लिमिटेड पर शून्य शुल्क लगाया जाए।

ड. फोशान केएल डेकोरेटिव मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (निर्माता/निर्यातक) (इसके बाद फोशान केएल के रूप में संदर्भित) ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण का अपने ईक्यूआर में प्रदान की गई निर्यात मात्रा और मूल्य में भिन्नता और भारतीय आयात डेटा के अनुसार आयात पर स्पष्टीकरण और औचित्य के लिए अनुरोध जांच के अंतिम चरण में है और इस प्रकार अनुचित है।

ढ. फोशान केएल ने आगे कहा कि उनके द्वारा ईक्यूआर में दायर डेटा सही है और इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन के समय निर्यातक द्वारा रखे गए आंकड़ों के बारे में कोई विसंगति नहीं पाई गई है या कोई सवाल नहीं उठाए गए हैं। प्रोफार्मा चालान, वाणिज्यिक चालान, पैकिंग सूची, बिल ऑफ लाडिंग, माल ढुलाई व्यय चालान, निर्यात घोषणा पत्र और बैंक सलाह सहित निर्धारित चालान का मिलान किया गया।

ण. फोशान केएल ने आगे कहा कि पहले उठाए गए इसी तरह के मुद्दों को भी प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि निर्यात के रिकॉर्ड में ऐसा कोई बेमेल नहीं पाया गया था जो अकेले अधिनियम और नियमों के संदर्भ में निर्धारण का आधार हो सकता है। वास्तव में, आवेदक ने एक ही विषय पर पहले की जांच में एक ही मुद्दा उठाया है, जिसमें दो प्रकटीकरण बयान जारी किए गए थे।

त. फोशान केएल ने प्रस्तुत किया कि कुछ जांचों में, जहां प्राधिकरण ने पाया कि भारतीय सीमा शुल्क डेटा ने पूरे डेटा को सही ढंग से कैप्चर नहीं किया और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत डेटा / जानकारी से मेल नहीं खाया, प्राधिकरण ने निर्यातकों के सत्यापित डेटा पर भरोसा किया।

थ. फोशान केएल ने प्रस्तुत किया कि डीजी सिस्टम डेटा (भारतीय सीमा शुल्क डेटा) द्वारा कैप्चर किया गया डेटा गलत है और इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। प्राधिकरण, सामान्यत या डीजी सिस्टम डेटा पर विचार नहीं करता है क्योंकि यह सटीक जानकारी को कैप्चर नहीं करता है, जो कि एक ज्ञात तथ्य है। प्राधिकरण का ध्यान चीन पीआर [एफ सं. 06/06/2022-डीजीटीआर दिनांक 29.02.2023] में उत्पन्न या निर्यात किए गए विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न के आयात के खिलाफ एंटी-डंपिंग जांच की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्राधिकरण ने डीजीसीआईएस और डीजी सिस्टम दोनों से आयात डेटा प्राप्त किया था, लेकिन जांच के उद्देश्य के लिए डीजीसीआईएस डेटा पर भरोसा किया था। डीजी सिस्टम डेटा के अनुसार निर्यातक का भारत को प्रत्यक्ष निर्यात विवरण केवल *** प्रविष्टियां दिखाता है जबकि निर्यातक ने पीओआई के दौरान सीधे भारत को *** चालान निर्यात किए। निर्यातक ने भारतीय सीमा शुल्क/डीजी प्रणाली आंकड़ों में दी गई मात्रा की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया।

द. फोशान केएल ने विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया कि निर्यातक द्वारा अपनी प्रतिक्रिया में दायर जानकारी और भारतीय सीमा शुल्क डेटा के बीच अंतर, यदि कोई है, तो असंबंधित आयातकों द्वारा गलत घोषणा के कारण है। तदनुसार, असंबंधित आयातकों द्वारा किसी भी गलत घोषणा के लिए निर्यातक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। निर्यातक के संबंधित व्यापारी, अर्थात् गुआंगज़ौ युक्वान कम्पोजिट मैटेरियल कं, लिमिटेड भारत को विषय वस्तुओं का व्यापार कर रहा है जिसे वह निर्यातक के साथ-साथ अन्य स्रोतों से खरीदता है। ऐसे में भारतीय सीमा शुल्क/डीजी सिस्टम के आंकड़ों में दी गई जानकारी से निर्यातक और अन्य उत्पादकों से संबंधित प्रविष्टियों की पहचान करना संभव नहीं है। प्रविष्टि बिल से संबंधित सूचना केवल आयातकों के पास उपलब्ध होती है, निर्यातक के पास नहीं। कृपया यह नोट किया जाए कि कोई भी आयातक निर्यातक से संबंधित नहीं है।

ध. घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के अनुसार अपने बिक्री मूल्य में वृद्धि करने में सक्षम रहा है। पहुंच मूल्य में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को बिक्री मूल्य में कमी या वृद्धि नहीं हुई है।

न. पीओआई में परिचालन मानकों में वृद्धि हुई है। इसलिए, कोई क्षति नहीं है।

प. क्षति की अवधि के दौरान विषय आयात की बाजार हिस्सेदारी समान स्तर पर रही है। 2019-20 से अप्रैल 2020 से जून 2021 (वार्षिक) में याचिकाकर्ता की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट को अन्य देशों से आयात की बाजार हिस्सेदारी में भारी वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

फ. क्षति की अवधि में उत्पादन में कथित कमी के बावजूद चोट की अवधि में मालसूची में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग का दावा संदिग्ध लग रहा है।

ब. मजदूरी और उत्पादकता घरेलू उद्योग को नुकसान के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए प्रमुख कारक नहीं हैं।

भ. पीओआई और पिछले वर्ष के बीच ब्याज और कर से पहले लाभ (पीबीआईटी) में तेजी से गिरावट आई और गिरावट लगभग 130 आधार अंक थी। तथापि, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) पीओआई के दौरान अर्थात पिछले वर्ष के तत्काल 498 अंकों का भारी सुधार दर्शाता है।

म. यदि घरेलू उद्योग प्रयोक्ता उद्योग की मात्रात्मक आवश्यकताओं और प्रयोक्ता उद्योग द्वारा अपेक्षित एसएवी की किस्मों को पूरा करने के लिए हित और प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं करता है तब घरेलू उद्योग ऐसे पूंजी निवेश करने के लिए कोई निर्णय नहीं लेगा।

य. घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए एसएवी की खराब गुणवत्ता के कारण है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन किए गए एसएवी के प्रयोक्ताओं/व्यापारियों द्वारा सामना की गई कुछ सामान्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दे वो मुद्दे हैं जो इंक ट्रांसफेरेंस, खराब धारण क्षमता, एसएवी की बेमेल मोटाई से संबंधित हैं।

कक. जब 2019-20 से अप्रैल 2020-जून 21 (वार्षिकीकृत) तक 5000 से अधिक एमटी तक संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई तब सुधार होने के बजाए, याचिकाकर्ता के आर्थिक मापदंडों में आगे इस अवधि के दौरान गिरावट आई।

खख. जब अप्रैल, 2020-जून 21 (वार्षिकीकृत) से जांच की अवधि तक संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई, याचिकाकर्ता के प्रचालनात्मक मापदंडों में सुधार हुआ।

गग. संबद्ध आयातों की मात्रा और याचिकाकर्ता के आर्थिक कार्य-निष्पादन में संचलन के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। इस कारण से, संबद्ध आयातों और याचिकाकर्ता की कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

घघ. भारत में समान वस्तु का केवल एक घरेलू उत्पादक है और वह भी भारत में प्रयोक्ता उद्योग की गुणवत्ता संबंधी, मात्रा संबंधी और किस्म संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। प्रयोक्ता उद्योग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन जन.गण. से संबद्ध आयातों पर पूर्ण रूप से निर्भर है। पाटनरोधी शुल्क लगाना याचिकाकर्ता के एकाधिकार को सिद्ध करेगा।

डड. इससे इंकार किया जाता है कि अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव घरेलू उद्योग द्वारा की गई गणना के अनुसार केवल 4-6 प्रतिशत होगा।

चच. जब पाटनरोधी शुल्क 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के दायरे में लगाया जाता है और आयातक बाजार को बनाए रखने के लिए उसके प्रभाव को अवशोषित करने के लिए बाध्य हैं तब आयातकों के लाभ का 10 प्रतिशत क्रमश: 36 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की हानि में बदल जाता है।

छछ. जब आयातक अंतिम प्रयोक्ताओं/परिवर्तकों/प्रोसेसरों पर पाटनरोधी शुल्क डालता है लेकिन वे पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को अवशोषित कर लेते हैं तब 5 प्रतिशत का निवल लाभ क्रमश: 34 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की हानि में बदल जाता है।

जज. पूरे भारत में लघु मुद्रण मशीन इकाईयों में लाखों लोग हैं जो जीविका के अपने उद्देश्यों से कच्चे माल के रूप में एसएवी की सस्ती उपलब्धता पर निर्भर हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब यह ऐसी मुद्रण इकाईयों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।

ञ2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

129. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि विचाराधीन उत्पाद में 100 माइक्रोन की न्यूनतम मोटाई मापदंड को समाप्त किया जाना चाहिए।

ख. यह अनुरोध किया गया था कि ग्लो विनाईल ओर ऑटोमोटिव विनाइल से घरेलू उद्योग द्वारा प्रति उत्तर अनुरोध में किए गए अनुरोध के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जाए।

ग. यह अनुरोध किया गया था कि उत्पादकों/निर्यातकों ने दावा किया है कि अत्यधिक गोपनीयता नियम 7 का उल्लंघन करता है। अधिकांश उत्पादकों/निर्यातकों ने भारत को निर्यात किए जा रहे उत्पादों के विवरण और अपने उत्पाद विवरणों को गोपनीय रखा है जबकि उनमें से सभी घरेलू उद्योग को इस बात को प्रकट किए बिना विभिन्न उत्पाद प्रकारों को बाहर किए जाने के लिए तर्क दे रहे हैं जो वास्तव में वे भारत को निर्यात कर रहे हैं और जो इनकी विशेषताएं हैं।

घ. घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने अनेक खामियों और गलतियों के बावजूद आंकड़ों और अन्य सूचना का सत्यापन किए बिना उत्पादकों/निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों को स्वीकार किया। उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन/क्षति मार्जिन असंभव प्रतीत होता है।

ङ. घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया कि यद्यपि कुछ उत्पादक/निर्यातक ने स्वयं अपने संबंधित निर्यातक और आयातक के बीच लेनदेन की विश्वसनीयता के बारे में प्रश्न उठाया है, जिसके कारण उनके बीच निर्यात कीमत को अस्वीकार करना आवश्यक हो गया, प्राधिकारी ने मार्जिन का निर्धारण करने के लिए निर्यात कीमत को तय करने का सहारा नहीं लिया है।

च. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि फोशान केएल डेकोरेटिव मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (निर्माता/निर्यातक) के लिए, आवेदक द्वारा भरोसा किए गए लेनदेन-वार आंकड़ों के अनुसार, निर्यातक का औसत सीआईएफ मूल्य संबंधित देश के अन्य निर्यातकों की तुलना में बहुत कम है और इसलिए, इस निर्यातक के लिए नकारात्मक पाटनरोधी और क्षति मार्जिन निर्धारण आवेदक घरेलू उद्योग के लिए एक आश्चर्य की बात है।

छ. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि यह घरेलू उद्योग को दिए गए एनआईपी प्रकटन में बिना किसी स्पष्ट औचित्य के ***/-रु. प्रति एमटी से 30 प्रतिशत से अधिक ***/-रु. प्रति एमटी तक घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत (एनआईपी) में बहुत अधिक कटौती से पीड़ित है। लागतों के कुछ कारकों जैसे कच्चे माल की लागत, पैकिंग लागत, उपभोज्य, यूटिलिटी, वेतन और मजदूरी, बिक्री और वितरण खर्च और एनएफए/आरओसीई को सबसे पहले बहुत अधिक हद तक कम किया गया है।

ञ3. प्राधिकारी द्वारा जांच

130. प्राधिकारी 100 माइक्रोन की मोटाई संबंधी मापदंड के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट करते हैं। इस संबंध में, संगत परिवर्तन विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में किए गए हैं।

131. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में आयात के आंकड़ों को अलग करने की पद्धति में विशेष रूप से "ग्लो विनाइल" और "ऑटोमेटिव" शब्दों को निकाल दिया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का ग्लो विनाइल और ऑटोमोटिव विनाईल को बाहर नहीं किए जाने के संबंध में प्रति उत्तर के चरण में अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

132. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में यह अनुरोध किया है कि अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में उनके तर्क जिसे उन्होंने अपने प्रति उत्तर में किया, का निवारण प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के पैरा 31 में दिया गया है, अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में कोई भी अनुरोध इस दस्तावेज की अगोपनीय रूपांतर प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर किया जाना है। इसके अलावा, गोपनीयता के संबंध में टिप्पणियां प्रति उत्तर में की गई थी और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया गया था। इस कारण से, प्राधिकारी का यह विचार है कि अत्यधिक गोपनीयता से संबंधित अनुरोधों को प्रति उत्तर के चरण के दौरान लाए जाने अथवा उस पर विचार किए जाने से रोका गया है।

133. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि उत्तर देने वाले कुछ उत्पादकों/निर्यातकों ने महत्वपूर्ण सूचना छिपाई है और प्राधिकारी ने उसका उचित सत्यापन

नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने प्रति उत्तर में अपने अनुरोध को वेब आधारित सूचना पर डाला है जिसमें प्रस्तुत किए गए तर्क की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कोई अधिक गहराई नहीं थी। यह नोट करना संगत है कि घरेलू उद्योग ने वेबसाइट का डोमेन नाम का भी उल्लेख नहीं किया है जिन पर उन्होंने विश्वास किया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है कि भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात कीमत अविश्वसनीय है। इस आशय के किसी साक्ष्य के अभाव में प्राधिकरण इस आशय का कोई निर्धारण करने की स्थिति में नहीं है।

134. जहां तक घरेलू उद्योग का उत्पादकों/निर्यातकों की निर्यात कीमत की विश्वसनीयता और निर्धारण के संबंध में तर्क का प्रश्न है, प्राधिकारी ऐसे मामलों में निर्यात कीमत की विश्वसनीयता की जांच करते हैं जहां निर्यातक और आयातक के बीच एक एसोसिएशन अथवा प्रतिपूर्ति संबंधी व्यवस्था है और प्राधिकारी इसे अविश्वसनीय पा सकते हैं। यह उत्पादक/निर्यातक द्वारा यह तर्क देने के क्षेत्राधिकार से बाहर है कि इसकी अपनी निर्यात कीमत अविश्वसनीय है और प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे निर्यात कीमत का निर्धारण करें क्योंकि यह उसकी विश्वसनीयता और साख का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी के विवेकाधिकार में आता है।

ट. निष्कर्ष एवं सिफारिश

135. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उपलब्ध कराई गई प्रमाणित सूचना और उपर्युक्त पैराओं में रिकॉर्ड किए गए और जांच किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटन एवं घरेलू उद्योग को घरेलू उद्योग की स्थापना के वास्तविक धीमापन के रूप में पाटन और उसकी परिणामी क्षति के निर्धारण के आधार पर, प्राधिकारी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं:

i) "वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "सेल्फ-अधेसिव विनाइल" (एसएवी) है , जिसे व्यापक तरीके से "सेल्फ-अधेसिव पोलीविनाइल क्लोराइड फिल्म" , "अधेसिव विनाइल", "विनाइल" "विनाइल फिल्म", "सेल्फ-अधेसिव पीवीसी फिल्म", "वन वे

विजन विनाइल” अथवा “कोल्ड लेमिनेशन फिल्म” के रूप में बाजार में जाना जाता है। यह उत्पाद रिलीज पेपर/लाइनर के साथ एक अधेसिव-बैक्ड विनाइल है जो विभिन्न सतहों पर इसके प्रयोग की अनुमति देता है। विचाराधीन उत्पाद में पोलीविनाइल क्लोराइड फिल्म का उपयोग करते हुए बनाए गए और केवल रोल फोर्म में आयात किए गए 100 माइक्रोन से ऊपर के पीवीसी फिल्म मोटाई वाले सभी प्रकार के एसएवी शामिल हैं।

ii) संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुएं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के संबंध में एक दूसरे की “समान वस्तु” है।

iii) याचिकाकर्ता इस उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और यह भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत है। याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अन्तर्गत उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह याचिका पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अन्तर्गत स्थाई आवश्यकताओं को पूरा करता है।

iv) उत्तर देने वाले 10 उत्पादकों/निर्यातकों में से 7 उत्पादकों/निर्यातकों के द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन धनात्मक और बहुत अधिक है।

v) संबद्ध देश से आयात की मात्रा में जांच की अवधि में कमी आई है लेकिन यह अभी भी भारत में उत्पादन और मांग की तुलना में बहुत अधिक है।

vi) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में बहुत अधिक हद तक कमी आई है और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मात्र 4.97 प्रतिशत है।

vii) आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है और इस कारण से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अलावा, बिक्री कीमत क्षति की पूरी अवधि के दौरान बिक्री की लागत से भी कम है।

viii) जहां तक घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर इस प्रकार के पाटन के प्रभाव का प्रश्न है, निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा गया था:

क. उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति की पूरी अवधि के दौरान कमी आई है परंतु जांच की अवधि में इसमें मामूली रूप से वृद्धि हुई है। क्षमता का उपयोग उल्लेखनीय रूप से कम है और घरेलू उद्योग जांच की अवधि में 13 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है।

ख. घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है।

ग. घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान हानि हुई। घरेलू उद्योग को नकद हानि भी हुई है और लगाई गई पूंजी पर इसका प्रतिफल क्षति की पूरी अवधि के दौरान ऋणात्मक है।

घ. घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी में क्षति की पूरी अवधि के दौरान कमी आई है। घरेलू उद्योग की प्रति व्यक्ति उत्पादकता में भी क्षति की पूरी अवधि के दौरान कमी आई है लेकिन जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है।

ix) घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप क्षति हुई है। क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।

x) प्राधिकारी ने किसी अन्य कारकों, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, के संबंध में अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है। ऐसा कोई कारक नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाया जाना प्रतीत होता हो। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के द्वारा पहुंचाई गई है।

xi) पाटनरोधी शुल्क जनहित में है। पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में आयात उचित कीमत पर हो, प्रयोक्ताओं के पास अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प और स्वतंत्रता बनी रहेगी ताकि वे

उचित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात कर सकें जो बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा।

xii) प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव के संबंध में, अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 4-6 प्रतिशत के दायरे में है। प्राधिकारी ने लागत में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि की जांच की है, जिसका विज्ञापनकर्ताओं पर 0.006 प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, जो विचाराधीन उत्पाद का अंतिम प्रयोक्ता है।

136. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावासों, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस नियमावली के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरुआत करने और इसे पूरा करने के बाद तथा ऐसे आयातों के कारण सकारात्मक पाटन मार्जिन सिद्ध किए जाने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

137. अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तद्नुसार, प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर नीचे संलग्न की गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.स.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1.	39199090, 39191000, 39199010, 39199020, 39209919, 39206929, 39219099	पोलीविनाइल क्लोराइड फिल्म का उपयोग करते हुए बनाए गए और केवल रोल फोर्म में आयात किए गए 100 माइक्रोन से ऊपर के पीवीसी फिल्म मोटाई वाले सभी प्रकार के एसएवी शामिल हैं। *	चीन जन. गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	फोशन केएल डेकोरेटिव मैटिरियल्स कं, लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
2.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	झेजियांग सो-फाइन सेल्फ-अधेसिव प्रोडक्ट्स कं. लि.	4	-वही-	-वही-
3.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	जुसेन एचसीआर डिजिटल मीडिया कं. लि., चीन जन.गण.	112	-वही-	-वही-
4.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	झाओक्विंग साउदर्न न्यू मैटरियल लिमिटेड, चीन जन.गण.	942	-वही-	-वही-
5.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	जियांगसु औली न्यू मैटिरियल्स कं. लि., चीन	1824	-वही-	-वही-

					जन.गण.			
6.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	एवेरी डेन्नसन (चीन) कं. लि.	शून्य	-वही-	-वही-
7.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	शंघाई एनएआर इंडस्ट्रियल कं. लि., चीन जन.गण.	119	-वही-	-वही-
8.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	नानटंग बाइना डिजिटल न्यू मैटिरियल कं. लि., चीन जन.गण.	119	-वही-	-वही-
9.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	झेजियांग यिया न्यू मैटिरियल्स कं. लि., चीन जन.गण.	201	-वही-	-वही-
10.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	झेजियांग फुलई न्यू मैटिरियल्स कं. लि., चीन जन.गण.	शून्य	-वही-	-वही-
11.	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	कोई अन्य	1865	-वही-	-वही-
12.	-वही-	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन.गण.	1865	-वही-	-वही-

** स्टिकर, टेप, लेबल, पाउच, पीपी, पीईटी, टीपीयू, इंकजेट मीडिया (50 माइक्रोन से कम), प्रोफाइल, क्लॉथ रिफलेक्टिव, मेटलाइज्ड, ग्लो विनाइल, एचडीपीई, फ्लोर मार्किंग टेप, एक्रिलिक, बीओपीपी, ऑटोमेटिव जैसे सेल्फ-अधेसिव फिल्मों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, रिफलेक्टिव फिल्म, सन-कंट्रोल फिल्म्स और ग्लास सेफ्टी फिल्म्स और सेल्फ अधेसिव उत्पाद जिनका निर्माण पीईटी, पीयू, बीओपीपी, आदि जैसे पीवीसी फिल्मों को छोड़कर बनाया जाता है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।*

ठ. आगे की प्रक्रिया

138. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी